निजी एजेंसियों के माध्यम से

एफएम रेडियो प्रसारण फेज-।।

के रिक्त चैनलों हेतु बोली

के लिये

निविदा दस्तावेज

8 जून, 2007

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

शास्त्री भवन

नई दिल्ली

विषय-सूची की तालिका

परिभाषाएं .....

भाग 1

प्रस्तावना एवं बोली प्रक्रिया

भाग 2

पात्रता शर्तें, मूल्यांकन प्रक्रिया और अनुमति प्रदान करना

भाग 3

निजी एजेंसियों द्वारा एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के संचालन हेतु अनुमति की शर्तें

अनुसूची 1 : निजी एफएम रेडियो प्रसारण के फेज-।। की बोली के लिए प्रस्तुत किए एफएम चैनल

परिशिष्ट क : पूर्व-योग्यता बोली के लिए आवेदन फार्म

परिशिष्ट ख : प्रमाण-पत्र/वचन के लिए फार्मेट

परिशिष्ट ग : वित्तीय बोली के लिए आवेदन फार्म

परिशिष्ट घ : बैंक प्रतिभूति (पीबीजी-।) देने के लिए फार्मेट

परिशिष्ट ड. : आशय-पत्र (एलओआई) के लिए फार्मेट

परिशिष्ट च : सकल राजस्व के विवरण के लिए फार्मेट

परिशिष्ट छ : सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा निवल मूल्य के प्रमाण-पत्र के लिए फार्मेट

परिभाषाएं

इस निविदा दस्तावेज में, यदि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो, नीचे बताए गए शब्दों का अर्थ इस प्रकार होगा :-

वार्षिक शुल्क	जैसा कि खण्ड 3.1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
शेष बोली	जैसा कि खण्ड 2.10.1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
बोली पैक	जैसा कि खण्ड 1.8 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
बोली प्रक्रिया	इसका अर्थ है निविदा के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने हेतु चरण-I तथा चरण-II में बंटी हुई बोली की प्रक्रिया
वित्तीय बोली	योग्य इच्छुक भागीदारों द्वारा मोहरबंद लिफाफे में बताई गई राशि का किया जाने वाला भुगतान
वित्तीय बोली जमा राशि	जैसा कि खण्ड 1.3.2 (ii) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
अनुमति करार की स्वीकृति	इसका अर्थ है एक ऐसा करार जिसके द्वारा सफल बोलीदाता को आबंटित फ्रीक्वेंसी और चैनल पर रेडियो प्रसारण शुरू करने की लिखित में स्वीकृति प्रदान की जाएगी

सकल राजस्व	खण्ड 3.1.2 में परिभाषित किए अनुसार सकल राजस्व
एलओआई	आशय-पत्र का अर्थ है, आगे विवरण में विनिर्दिष्ट कतिपय बाध्यताओं की संतुष्टि पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सफल बोली प्रदाता को जारी किया गया पत्र
ओटीईएफ	एकमुश्त प्रवेश शुल्क का अर्थ एवं संदर्भ प्रत्येक बोली प्रदाता द्वारा निविदा दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए एकमुश्त शुल्क से है
पीबीजी ।	जैसा कि खण्ड 1.3.2 (iii) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
पीबीजी ।।	जैसा कि खण्ड 2.10.3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
फेज-।	वर्ष 2000 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाइसेंसो को स्वीकृति
फेज-।।	वर्ष 2005 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करना
क्यूआईपी	योग्य इच्छुक भागीदारों का अर्थ है वे आवेदक जिन्हें बोली

	प्रक्रिया के चरण-I हेतु निर्धारित किए गए सभी पात्रता मानदंडों के योग्य पाया गया है
क्षेत्र	क्षेत्र का अर्थ है उत्तर या पूर्व या दक्षिण या पश्चिम क्षेत्र, जिनमें निम्न राज्य/संघ शासित प्रदेश शामिल हैं : **<u>उत्तर क्षेत्र :</u>** जम्मू व कश्मीर, [1](***), हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल **<u>पूर्व क्षेत्र :</u>** अरूणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह **<u>दक्षिण क्षेत्र :</u>** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी **<u>पश्चिम क्षेत्र :</u>** छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन व दीव
आरक्षित ओटीईएफ	इसका अर्थ एवं संदर्भ प्रत्येक शहर हेतु अधिकतम सफल वैध वित्तीय बोली का 25 प्रतिशत से है
चरण-I	इसका अर्थ खण्ड 1.3.1 के अंतर्गत विस्तार से परिभाषित बोली प्रक्रिया के चरण प्रथम से है

चरण-।।	इसका अर्थ खण्ड 1.3.2 के अंतर्गत विस्तार से परिभाषित बोली प्रक्रिया के द्वितीय चरण से है
सफल बोली प्रदाता	इसका अर्थ उन क्यूआईपी से है जिन्हें वित्तीय बोलियों के आधार पर चुना गया है
निविदा दस्तावेज	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज
प्रतीक्षा सूची	इसका अर्थ सफल बोलीदाताओं के अतिरिक्त उन क्यूआईपी की सूची से है, जिनके पास वैध वित्तीय बोली है तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों एवं नियमों की सफल बोलीदाताओं द्वारा अनुपालना न करने की स्थिति में भविष्य में होने वाले संभावित चयन हेतु जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास जमा की गई अपनी निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी-।) को जमा रखने के लिए कहा गया है।

---

1 पंजाब राज्य को असावधानीवश रखा गया था। पंजाब राज्य में कोई रिक्त चैनल नहीं था। इसलिए इसका नाम हटा दिया गया। (दिनांक 9.6.2007 को त्रुटि को ठीक किया गया)

भाग-1

प्रस्तावना एवं बोली प्रक्रिया

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्थानीय विषय-वस्तु एवं प्रासंगिकता वाले कार्यक्रम प्रदान करने वाले रेडियो स्टेशनों को संचालित करके, कार्यक्रम सृजन एवं प्राप्ति में सत्यनिष्ठा की गुणवत्ता में सुधार तथा स्थानीय प्रतिभा के प्रोत्साहन और रोजगार सृजन द्वारा आल इंडिया रेडियो के प्रयासों में कमी को पूरा करने तथा परिपूरकता हेतु निजी एजेंसियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 13.7.2005 को निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण के विस्तार की एक नई नीति को अधिसूचित किया है। परिणामस्वरूप, 337 चैनलों की बोली लगाई गई जिनमें से 280 चैनलों की सफलतापूर्वक बोली लगी। इनकी छानबीन के बाद, 245 चैनलों को संचालित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया। शेष रिक्त चैनलों की बोली जारी करने पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा शेष रिक्त चैनलों की बोली लगाने का निर्णय लिया गया है।

1.2 आवेदकों को अपनी बोलियां औपचारिक रूप से जमा करवाने से पहले इस निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

1.2 शहरों, चैनलों की संख्या और आवेदन-पत्रों की संख्या पर प्रतिबंध

1.2.1 इस स्तर पर देश भर के 48 शहरों में कुल 97 चैनलों को भारतीय निजी कंपनियों द्वारा बोली लगाए जाने हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। उन शहरों की सूची, जहां निजी भागीदारी द्वारा एफएम प्रसारण की योजना बनाई गई है, अनुसूची-। में दी गई है। सरकार के पास किसी भी स्तर पर किसी भी शहर हेतु चैनलों की संख्या में परिवर्तन करने तथा शहरों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

1.2.2 प्रत्येक आवेदक तथा खण्ड 2.4.1 में परिभाषित किए अनुसार इसकी संबंधित कंपनी को प्रत्येक शहर में केवल एक चैनल की बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि किसी आवेदक या इसकी संबंधित कंपनी को आबंटित चैनलों की कुल संख्या भारत में आबंटित किए गए कुल चैनलों की 15 प्रतिशत समग्र सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी आवेदक या इसकी संबंधित कंपनी को उपरोक्त समग्र सीमा से अधिक चैनलों की संख्या आबंटित किए जाने की स्थिति में, आवेदक अपने विवेक से चैनलों का चयन करेगा तथा ऐसे चैनलों की संख्या को वापस लौटाएगा ताकि वह समग्र सीमा की अनुपालना कर सके तथा वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भुगतान की गई वित्तीय बोली राशि को वापस प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। आवेदक को ऐसा चयन तथा चैनलों को वापस लौटाने का कार्य वित्तीय बोली की शुरूआत के एक सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। चैनलों को वापस लौटाने हेतु विकल्प उन 97 चैनलों के मामलों में ही उपलब्ध होगा जिनके लिए बोली आमंत्रित की गई है तथा उस किसी भी चैनल को वापस लौटाने की अनुमति नहीं होगी जिसके लिए फेज-।

तथा फेज-।। (अंतरण जीओपीए सहित) के तहत जीओपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.3 बोली प्रक्रिया

1.3.1 <u>चरण-।</u>

वह कोई भी कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया है तथा जो इसके बाद दिए गए भाग 2 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, बोली प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकती है। सभी इच्छुक पार्टियां इस निविदा दस्तावेज का अवलोकन करेंगी तथा परिशिष्ट-क एवं ख में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार अपनी पात्रता के विवरणों, चरण-। हेतु बोली पैक के अनुसार सभी अन्य आवश्यक दस्तावेजों तथा प्रक्रिया शुल्क हेतु वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में देय 15,000/-रु. (पन्द्रह हजार रूपये केवल) राशि के एक डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करेंगी। भाग-2 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को बोली प्रक्रिया के चरण-।। में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इन सभी पात्र आवेदकों को "योग्य इच्छुक पार्टियां" (क्यूआईपी) कहा जाएगा।

1.3.2 <u>चरण-।।</u>

बोली प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक क्यूआईपी को चरण-।। हेतु बोली पैक के अनुसार किसी चैनल के संचालन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने हेतु वित्तीय बोली प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें शामिल होगा :

(i) यहां दिए गए **परिशिष्ट 'ग'** में विनिर्दिष्ट फार्मेट में वित्तीय बोली (अर्थात क्यूआईपी द्वारा भुगतान किया जाने वाला एकमुश्त प्रवेश शुल्क);

(ii) किसी अनुसूचित बैंक से वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष, दिल्ली में भुगतान योग्य, खाते में भुगतान किए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट, **संख्या में चार से अधिक न हो**, के माध्यम से वित्तीय खोली (**"वित्तीय बोली जमा राशि"**) की 50 प्रतिशत राशि के समान राशि को जमा करना।

(iii) निर्धारित फार्मेट में (**परिशिष्ट घ**) वित्तीय बोली की 50 प्रतिशत (**"पीबीजी-।"**) राशि अप्रत्योदय, बिना शर्त तथा पुष्ट निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में देनी होगी। पीबीजी-। एक वर्ष से कम अवधि हेतु नहीं होगी तथा इसे वित्तीय बोली शुरू करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वैध रखा जाएगा।

1.4 महत्वपूर्ण सूचना

1.4.1 भारत सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो दर्ज किए जाने वाले कारणों हेतु, सभी बोलियों या किसी बोली को रद्द करने, और/या बोली प्रक्रिया या उसके किसी भाग को वापस लेने या किसी भी समय इसकी किसी मद में परिवर्तन करने या सभी चैनलों या किसी चैनल हेतु नए सिरे से बोली आमंत्रित के लिए अधिकृत होगी तथा उसके पास यह अधिकार सुरक्षित होगा।

1.4.2 आवेदकों और क्यूआईपी को बोली प्रक्रिया, किसी वित्तीय बोली को प्रस्तुत करने और/या तैयार करने, अनुमति करार की मंजूरी और ऐसी वित्तीय बोली के कार्यान्वयन हेतु अन्य दस्तावेजीकरण एवं लेने-देन को पूरा करने के संबंध में (बिना सीमा के) हुए खर्च सहित, के संबंध में इसके द्वारा वहन की गई सभी लागतों, खर्चों एवं देयताओं का भुगतान करना होगा तथा यह उसकी एकल जिम्मेवारी होगी।

1.4.3 भारत सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिया गया निमंत्रण या भारत सरकार द्वारा बोलियों की प्राप्ति को समझौता या वचनबद्धता, प्रतिनिधित्व, वारंटी, गारंटी या वचन नहीं माना जाएगा तथा इसका अर्थ आवेदक या क्यूआईपी के साथ पारस्परिक सहमति हेतु कोई अधिकार या आशाएं जो कुछ भी हो, को तैयार करना या प्रदान किया जाना नहीं माना जाएगा।

1.4.4 सभी आवेदकों और क्यूआईपी तथा उनके प्रतिनिधियों को उपरोक्त शर्तों एवं नियमों के अनुसरण में शिष्टता के आधार पर किए गए या किए जाने वाले सभी कार्यों, कृतियों एवं चीजों से सहमत होना होगा तथा अनुरक्षण करना होगा।

1.4.5 न ही तो किसी क्यूआईपी को अन्य आवेदकों और/या क्यूआईपी द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों या सूचना को प्रदान करने की मांग करने का अधिकार होगा तथा न ही भारत सरकार या इसका कोई सलाहकार ऐसे किसी दस्तावेज या सूना को प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

1.5 प्रश्न/स्पष्टीकरण

1.5.1 सरकार ने बोली प्रक्रिया के चरण-I के लिए आवेदन करने हेतु आम जनता के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाओं को पर्याप्त विवरण के साथ प्रदान करने का प्रयास किया है। पूर्व-योग्य होने पर, सभी क्यूआईपी को अपनी वित्तीय बोली तैयार करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं तथा दस्तावेजीकरण प्रदान किए जाएगें। तथापि, सभी संभावित आवेदकों और/या क्यूआईपी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों या की गई पूछताछ के बारे में जानकारी आवेदनों/बोलियों को प्रस्तुत करने में सुविधा हेतु प्रदान की जाएगी। प्रशासनिक सुविधा हेतु, प्रत्येक संभावित आवेदक/क्यूआईपी से एक सम्पर्क बिन्दु की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है जिसके माध्यम से उनके साथ उन सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा जिनके बारे में वे लिखित में श्री एम.वी. विजयन, अवर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 से पूछताछ करते हैं।

1.5.2 भारत सरकार के पास आवेदकों/क्यूआईपी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर या स्पष्टीकरण न देने या अपने विवेक से किसी प्रश्न का उत्तर टालने का अधिकार सुरक्षित है। इस भाग में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी अथवा पढ़ी जाएगी जिसका आशय यह समझा जाए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने अथवा कोई स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार बाध्य है अथवा उनके लिए आवयक है। सभी आवेदक/क्यूआईपी यह स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार किसी प्रश्न का उत्तर देने या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

1.5.3 सामान्य स्वरूप के प्रश्नों के मामले में उत्तर/स्पष्टीकरणों की प्रतियां, भारत सरकार के अपने विवेक से बिना प्रश्नों के स्रोत को प्रकट किए, सभी आवेदकों/क्यूआईपी को प्रदान की जा सकती है। इस निविदा दस्तावेज में दी गई किसी भी अंतिम समय-सीमा में इस आधार पर वृद्धि नहीं की जाएगी कि भारत सरकार ने किसी प्रश्न का उत्तर या कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया।

1.6 अनुपालना

1.6.1 निविदा दस्तावेज के सभी अनुभागों के संबंध में खंड-दर-खंड अनुपालना आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि बोली के साथ खण्ड-दर-खण्ड अनुपालना रिपोर्ट को संलग्न नहीं किया जाता है, तो बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.6.2 किसी विशिष्ट खण्ड (जहां अनुपालना के लिए कहा गया है) पर की गई टिप्पणी, "नोट की गई या समझी गई", स्वीकार्य नहीं है। प्रत्येक खण्ड के सामने एक सकारात्मक टिप्प्णी "हम अनुपालना करते है" आवश्यक है। अनुपालना के समर्थन में लगाए गए किसी दस्तावेज को भी वहां दर्शाया जा सकता है।

1.7 बोली दस्तावेजों का संशोधन

1.7.1 चरण-I हेतु बोली पैक को प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख से पूर्व किसी भी समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अपनी स्वयं की पहल पर या संभावित आवेदकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, चरण-I हेतु बोली पैक के तहत आवश्यकताओं को आशोधित कर सकता है।

1.7.2 इन संशोधनों को मूल निविदा दस्तावेजों की तरह ही सर्वसाधारण के लिए अधिसूचित किया जाएगा तथा ये संशोधन उनके लिए बाध्यकारी होंगे तथा इनकी अनुपालना भी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

1.7.3 संभावित आवेदकों को अपनी बोलियां तैयार करते समय इन संशोधनों को शामिल करने हेतु उपयुक्त समय प्रदान करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अपने विवेक से बोलियां जमा करवाने की अंतिम समय-सीमा उपयुक्त रूप से आगे बढ़ा सकता है।

1.8 बोली पैक

1.8.1 पूर्व-योग्यता (चरण-I)

बोली पैक में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) परिशिष्ट 'क' के अनुसार आवश्यक अनुलग्नकों सहित पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (पूर्व-योग्यता बोली);

(ख) परिशिष्ट 'ख' के अनुसार यथा प्रमाणित प्रमाण-पत्र/वचन;

(ग) प्रक्रिया शुल्क के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय **15,000/-रु. (पन्द्रह हजार केवल)** का डिमांड ड्राफ्ट जो नई दिल्ली के किसी अनुसूचित बैंक में भुगतान योग्य हो।

1.8.2 योग्यता के बाद (चरण-।।)

क्यूआईपी हेतु बोली पैक में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) परिशिष्ट 'ग' में दिए गए फार्मेट के अनुसार वित्तीय बोली;

(ख) वित्ती बोली की राशि के 50 प्रतिशत के समान राशि का डिमांड ड्राफ्ट (संख्या में चार से अधि न हो) जो नई दिल्ली के किसी अनुसूचित बैंक में भुगतान योग्य तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो;

(ग) परिशिष्ट 'घ' के अनुसार, वित्तीय बोली की राशि के 50 प्रतिशत के समान राशि की अनुसूचित बैंक में कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी।

1.9 बोलियों को जमा करना

1.9.1 **<u>चरण-।</u>** - चरण-। हेतु सभी प्रकार से पूर्ण बोली पैक की तीन प्रतियाँ मोहरबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए तथा उन पर निम्न अंकित होना चाहिए :

एफएम रेडियो प्रसारण फेज-।। - चरण-। के रिक्त चैनलों हेतु बोली पैक (निविदाकर्ता का नाम व पता)

चरण-। हेतु बोली पैक के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या डाली जानी चाहिए तथा प्रथम पृष्ठ पर दस्तावेज के पृष्ठों की कुल संख्या को भी दर्शाया जाना चाहिए। चरण-। हेतु बोली पैक की एक प्रति पर 'मूल' लिखा जाना चाहिए तथा स्याही से इसके

प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा दो अन्य प्रतियों पर 'प्रति' अंकित होना चाहिए।

मोहरबंद लिफाफे पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा भेजे जाने चाहिए या व्यक्तिगत रूप से श्री एम.वी. विजयन, अवर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पास जमा करवाने चाहिए या सुविधा केन्द्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 पर भी जमा करवाए जा सकते हैं। अपने स्वयं के हित में, आवेदकों को कोरियर वालों को मोहरबंद लिफाफे मंत्रालय के सुविधा केन्द्र पर प्रदान करने तथा एक रसीद प्राप्त करने के लिए निदेश देना चाहिए। भारत सरकार लेन-देन में हुए किसी नुकसान या डाक/कोरियर द्वारा बोली पैक की प्राप्ति में हुए विलंब के लिए किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होगी।

1.9.2 **<u>चरण-II</u>** - चरण-II हेतु सभी प्रकार से पूर्ण बोली पैक (वित्तीय बोली, वित्तीय बोली जमा राशि तथा पीबीजी-I) प्रत्येक शहर हेतु अलग मोहरबंद लिफाफे में जमा करवानी चाहिए तथा उन पर निम्न अंकित होना चाहिए :

एफएम रेडियो प्रसारण फेज-II - चरण-II के रिक्त चैनलों हेतु निविदा
(निविदा किए गए शहर का नाम)
(निविदाकर्ता का नाम व पता)

सभी आवेदक कंपनियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को चरण-।। हेतु बोली पैक के लिए मोहरबंद लिफाफे को व्यक्तिगत रूप से नीचे खण्ड 1.12.1 में दी गई तालिका के कॉलम 2 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के सभी शहरों हेतु इन्हें जमा करवाने के लिए दर्शाए गए स्थान व समय के दौरान, कॉलम 4 में दर्शाए गए स्थलों पर उपस्थित भारत सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास जमा करवाना होगा। भारत सरकार चरण-।। हेतु बोली पैकों को किसी भी अन्य प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी।

1.10 बोलियों को जमा करवाने हेतु अंतिम समय-सीमा

1.10.1 चरण-। हेतु बोली पैक सभी आवेदकों द्वारा उपरोक्त खण्ड 1.9.1 में विनिर्दिष्ट पते पर, वहां निहित अनुदेशों के अनुसार, 23 जुलाई, 2007 को 1:00 तक भेजे जाने/जमा करवाए जाने चाहिए।

1.10.2 चरण-।। हेतु बोली पैक सभी क्यूआईपी द्वारा उपरोक्त खण्ड 1.9.2 में निहित अनुदेशों के अनुसार नीचे खण्ड 1.12.1 में विनिर्दिष्ट समय, तारीख तथा पते पर प्रदान किए जाने चाहिए।

1.10.3 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अपने स्वयं के विवेक से आवेदनों/बोलियों को जमा करवाने की अंतिम समय-सीमा आगे बढ़ा सकता है।

1.11 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

1.11.1 बोलियों को जमा करवाने की निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली, चाहे विलम्ब का कोई भी कारण हो, को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इसे बिना खोले ही आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा।

1.12 अन्यथा सूचित किए बिना, वित्तीय बोलियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नीचे दर्शाए गए स्थल, समय एवं तारीखों को क्षेत्र-वार/वर्ग-वार खोला जाएगा :

क्षेत्र/शहरों का वर्ग	**बोलियों को जमा करवाने की तारीख व समय (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक)**	**बोलियों को खोले जाने का समय व तारीख (सांय 3:00 बजे से)**	**बोलियों को जमा करवाने तथा खोले जाने का स्थान**
क+ एवं क श्रेणी शहर	12.11.2007	12.11.2007	*पत्र सूचना कार्यालय सम्मेलन कक्ष, भू-तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
उत्तर (क	12.11.2007	12.11.2007	*पत्र सूचना

तथा क श्रेणी के शहरों को छोड़कर)			कार्यालय सम्मेलन कक्ष, भू-तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दक्षिण (क+ तथा क श्रेणी के शहरों को छोड़कर)	12.11.2007	12.11.2007	*पत्र सूचना कार्यालय सम्मेलन कक्ष, भू-तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
पूर्व (क+ तथा क श्रेणी के शहरों को छोड़कर)	26.11.2007	26.11.2007	*पत्र सूचना कार्यालय सम्मेलन कक्ष, भू-तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
पश्चिम (क+ तथा क श्रेणी के शहरों को छोड़कर)	26.11.2007	26.11.2007	*पत्र सूचना कार्यालय सम्मेलन कक्ष, भू-तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

* उपलब्धता के विषयाधीन

1.12.2 चरण-।। के लिए बोली को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नामिति योग्य इच्छुक पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों जो इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए इच्छुक हों, की उपस्थिति में खोलेंगे। प्रत्येक योग्य इच्छुक पक्षकार एक व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित करेगा जो बोली खोलते समय उपस्थित रहने का पात्र होगा। प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार प्रस्तुत करना होगा, जिस पर क्यूआईपी की मोहर होनी चाहिए तथा उसे उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे। प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.12.3 अधूरी बोलियों को सरसरी तौर पर ही रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, भारत सरकार अपने विवेक से बोलियों में छोटी-मोटी त्रुटियों को छोड़ सकती है, परंतु इनसे वित्तीय बोली राशि या इसकी वैधता में वास्तविक रूप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और/या ऐसी कमियों को ठीक करने के लिए समय प्रदान कर सकती है।

1.13 न्याय अधिकार क्षेत्र

1.13.1 निविदा दस्तावेज और बोली प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में भारत के कानून लागू होंगे। केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों (अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर) को ही उठने वाले किसी मामले में निर्णय देने या उसका निश्चय करने का न्यायिक अधिकार होगा।

1.14 वेब साइट

1.14.1 भारत सरकार ने इस निविदा दस्तावेज को अपनी वेबसाइट www.mib.nic.in पर भी डाल दिया है तथा वह इस वेबसाइट का प्रयोग निविदा शर्तों या बोली प्रक्रिया इत्यादि के बारे में सामान्य स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, या परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करने, यदि कोई हो, के लिए मुख्य साधन के रूप में करेगी। इसी प्रकार से, सभी प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे प्रारूप एलओआई/जीओपीए/प्रसार भारती/बेसिल के साथ हुए करार, विभिन्न फार्मेटों और परिशिष्टों इत्यादि को भी समय-समय पर इसी वेबसाइट पर ही डाला जाएगा। इसलिए सभी संभावित आवेदकों और क्यूआईपी को एफएम रेडियो प्रसारण फेज-।। नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में हुए अद्यतन परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह से सूचना रखने के लिए जहां तक संभव हो जल्दी-जल्दी इस वेबसाइट को देखने की सख्त सलाह दी जाती है।

भाग-2

पात्रता शर्तें, मूल्यांकन प्रक्रिया और अनुमति प्रदान करना

2.1 आवेदकों हेतु पात्रता

2.1.1 कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत केवल वे ही कंपनियां जो इस भाग में नीचे विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

2.2 अपात्रताएं

2.2.1 निम्नलिखित प्रकार की कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगी :

(क) वे कंपनियां जिन्हें भारत में निगमित नहीं किया गया है;

(ख) ऐसी कोई कंपनी जिसका नियंत्रण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे नैतिक दुष्टता सहित किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो या उसे दीवालिया घोषित किया हो या उसने दीवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया हो;

(ग) धार्मिक निकाय द्वारा नियंत्रित या उससे सम्बद्ध कम्पनी;

(घ) राजनीतिक निकाय द्वारा नियंत्रित या उससे सम्बद्ध कम्पनी;

(ड.) कोई ऐसी कम्पनी जो विज्ञापन एजेंसी के तौर पर कार्य कर रही है या किसी विज्ञापन एजेंसी से सम्बद्ध है या विज्ञापन एजेंसी द्वारा नियंत्रित की

जाती हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा विनियंत्रित की जाती हो जिसका संबंध विज्ञापन एजेंसी से है;

(च) उसी शहर में किसी आवेदक की सहायक कंपनी;

(छ) उसी शहर में किसी आवेदक द्वारा धारित कंपनी;

(ज) एक ही शहर के अंदर उसी प्रबंधन के तहत आने वाली कंपनियां;

(झ) उसी शहर में एक से अधिक अंतर-संबंधित वचन;

(ञ) कोई ऐसी कंपनी जिस पर बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रोक लगाई गई हो या उसी प्रबंधन के तहत उसकी सम्बद्ध कंपनी;

(ट) फेज-I और फेज-II के अंतर्गत शर्तों का उल्लंघन करने के वे चूककर्ता, जिन्होंने उनके आशय-पत्र/लाइसेंस करार को निरस्त किए जाने पर विवाद खड़ा किया हो, उन पर भविष्य की किसी बोली प्रक्रिया में भाग लेने पर लगी रोक जारी रहेगी।

नोट 1 : उपरोक्त उप-खण्ड (घ) के उद्देश्यार्थ एक धार्मिक निकाय का अर्थ होगा:

i. एक ऐसा निकाय जिसके उद्देश्य पूर्ण रूप से या मुख्यत: धार्मिक स्वरूप के हैं;

ii. एक ऐसा निकाय जिसे किसी धार्मिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता हो या वह धार्मिक निकाय से सम्बद्ध हो।

नोट 2 : उपरोक्त उप-खण्ड (ड.) के उद्देश्यार्थ एक राजनीतिक निकाय होगा :

i. एक ऐसा निकाय जिसके उद्देश्य पूर्ण रूप से या मुख्य राजनीतिक स्वरूप के हैं;

ii. किसी राजनीतिक निकाय से सम्बद्ध कोई निकाय;

iii. एक कारपोरेट निकाय जो ऐसे कारपोरेट निकाय से सम्बद्ध है, जिसका नियंत्रण एवं स्वामित्व, संचालन ऊपर संदर्भित राजनीतिक स्वरूप के निकाय के नियंत्रण या सहयोग से किया जाता है।

नोट 3 : खण्ड (च) के उद्देश्यार्थ एक "विज्ञापन एजेंसी" का अर्थ होगा एक व्यक्ति या एक कारपोरेट निकाय जो अपना कारोबार एक विज्ञापन एजेंट के तौर पर करता हो (चाहे अकेला या किसी के साथ भागीदारी में) या उसका नियंत्रण एक ऐसे कारपोरेट निकाय पर हो जो अपना कारोबार विज्ञापन एजेंट के तौर पर करता हो तथा विज्ञापन एजेंसी के संदर्भ में किसी ऐसे उस एक व्यक्ति का संदर्भ शामिल होगा जो -

(i) किसी ऐसे कारपोरेट निकाय का निदेशक या अधिकारी है जो ऐसा कारोबार करता है, या

(ii) उसकी नियुक्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो ऐसा कारोबार करता है।

नोट 4 : खण्ड (छ), (ज) और (ञ) के उद्देश्यार्थ "एक ही प्रबंधन", 'सहायक कंपनी' और 'कंपनी धारिता' शब्दों का वही अर्थ होगा जो इन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत प्रदान किया गया है।

नोट 5 : खण्ड (ट) के उद्देश्यार्थ 'अंतर-संबंधित वचन' का वही अर्थ होगा जो इसे इसे एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, 1969 के तहत प्रदान किया गया है।

नोट 6 : यदि आवेदक कंपनी और सहायक कंपनी/धारित कंपनी/एक ही प्रबंधन वाली कंपनी/अंतर-संबंधित वचन एक ही शहर हेतु एक से अधिक बोली जमा करती है तो मूल्यांकन हेतु केवल उच्चतम वैध बोली पर ही विचार किया जाएगा।

2.3 विदेशी निवेश

2.3.1 आवेदक कंपनी में ओसीबी/एनआरआई/पीआईओ इत्यादि द्वारा एफडीआई, एफआईआई द्वारा निवेश (आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर) तथा उधार, यदि इनमें परिवर्तनीय विकल्प हो, सहित कुल विदेशी निवेश कंपनी में भुगतान की गई इक्विटी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

i. किसी एक भारतीय या कंपनी का अनुसूचित बैंकों और अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी को छोड़कर आवेदक कंपनी में भुगतान की गई इक्विटी का 50 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व है।

ii. ज्यादातर शेयरधारकों का आवेदक कंपनी पर प्रबंध नियंत्रण है।

iii. आवेदक कंपनी के निदेशक बोर्ड में केवल भारतीय निवासियों को शामिल किया गया है।

iv. आवेदक कंपनी के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय निवासी हैं।

<u>स्पष्टीकरण :</u>

[क] ऊपर प्रयोग किए गए शब्द 'एक अकेला भारतीय या कंपनी' में निम्नलिखित में से कोई एक या उनका समूह शामिल होगा –

(1) एक अकेले शेयरधारक के मामले में,

(क) अकेला शेयरधारक।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थ के भीतर शेयरधारक को कोई संबंधी।

(ग) एक कंपनी/कंपनियों का समूह जिसमें अकेले शेयरधारक/एचयूएफ, जिससे वह संबंधित है, का प्रबंध या नियंत्रण हित हो।

(2) भारतीय कंपनी के मामले में,

(क) भारतीय कंपनी।

(ख) एक ही प्रबंध और स्वामित्व नियंत्रण के तहत भारतीय कंपनियों का एक समूह।

इस खण्ड के उद्देश्यार्थ ''भारतीय कंपनी'' एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें,

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956/एचयूएफ की धारा 6 के तहत परिभाषित किया गया है, भारतीय निवासी या भारतीय संबंधी ने अकेले या समूह में कम से कम 51 प्रतिशत शेयरों को धारित किया हो।

बशर्ते, उपरोक्त उप-खण्ड (1) और (2) में वर्णित किसी एक कंपनी या इनके समूह के मामले में, प्रत्येक पार्टी ने आवेदक कंपनी के प्रबंध मामलों में एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य करार किया हो।

[ख] आवेदक कंपनी की इक्विटी में 20 प्रतिशत विदेशी निवेश की गणना करते समय, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर आवेदक कंपनी में एफडीआई/एफआईआई निवेशों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, आवेदक कंपनी की अधिसंख्य शेयरधारिता कंपनियों तथा प्रोमोटर्स की इक्विटी में सीधे विदेशी धारिता संघटक, यदि कोई हो तो उनमें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एफआईआई निवेशों की भी यथानुपात आधार पर यथा गणना की जाएगी ताकि आवेदक कंपनी में कुल विदेशी धारिता के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

2.4 वित्तीय पात्रता

2.4.1 आवेदक सभी चार क्षेत्रों में रिक्त चैनलों हेतु बोली में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि प्रत्येक कंपनी देश भर में आबंटित किए गए/आबंटित किए जाने वाले सभी चैनलों के 15 प्रतिशत या उससे कम चैनलों हेतु एलओआई/अनुमति प्राप्त

करने के लिए पात्र होगी।

नोट : (1) कंपनियों की निम्न श्रेणियों को आबंटित चैनलों की गणना, कंपनी को आबंटित कुल चैनलों की गणना करने करने के उद्देश्यार्थ एक साथ की जाएगी :

(क) किसी आवेदक/आबंटी की सहायक कंपनी;

(ख) किसी आवेदक/आबंटी की धारित कंपनी;

(ग) आवेदक/आबंटी के प्रबंध के तहत ही कंपनियां;

(घ) आवेदक/आबंटी के संबंध में एक से अधिक अंतर-संबंधित उपक्रम

नोट : (2) मौजूदा लाइसेंस/अनुमति/एलओआई धारकों के संबंध में, उनके द्वारा पहले से ही प्राप्त लाइसेंस/अनुमति/एलओआई पर, 15 प्रतिशत की सीमा की गणना करने हेतु, विचार किया जाएगा।

2.4.2 प्रत्येक आवेदक कंपनी की वित्तीय पात्रता का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा :

प्रत्येक क्षेत्र में प्रति शहर एक चैनल हेतु आवश्यक न्यूनतम निवल पूंजी :

घ श्रेणी शहर	:	50 लाख रु.
ग श्रेणी शहर	:	1 करोड़ रु.
ख श्रेणी शहर	:	2 करोड़ रु.
क श्रेणी शहर	:	3 करोड़ रु.
क श्रेणी शहर	:	3 करोड़ रु.

सभी क्षेत्रों में शहरों की सभी श्रेणियों हेतु	:	10 करोड़ रु.

[नोट : 'निवल पूंजी' का अर्थ है किसी उपक्रम की देयताओं पर इसकी परिसम्पत्तियों (काल्पनिक परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त) के पुस्तकीय मूल्य की अधिकता। इसकी गणना कंपनी में भुगतान की गई इक्विटी तथा फ्री रिजर्व के योग में से संचित नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर की जाती है।]

उदाहरण : एक ही क्षेत्र में दो या अधिक 'ग' श्रेणी शहरों हेतु, 1 करोड़ रु. की निवल पूंजी की आवश्यकता है। यदि 2 ग श्रेणी शहर दो अलग क्षेत्रों में आते हैं तो 2 करोड़ रु. की निवल पूंजी की आवश्यकता होगी।

2.4.3 प्रत्येक आवेदक को इसके द्वारा बोली लगाए जाने वाले क्षेत्रों तथा शहरों की श्रेणी या श्रेणियों को आवेदन फार्म (जैसा कि परिशिष्ट क में दिया गया है) में दर्शाना होगा तथा इसकी पात्रता का निर्धारण तदनुसार ही किया जाएगा। यदि आवेदक किसी एक या सभी क्षेत्रों की सभी श्रेणियों में भाग लेने का इच्छुक है तो उसके पास न्यूनतम 10 करोड़ रु. की निवल पूंजी का होना आवश्यक है।

2.4.4 आवेदक कंपनी को अपनी वित्तीय दक्षता के दावे के समर्थन में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार या बाद की किसी तारीख से बोली जमा करवाने की तारीख तक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित निवल पूंजी के साथ पिछले तीन वर्षों या निगमीकरण की तारीख से, जो भी बाद में हो, वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित अंतिम लेखाओं को प्रस्तुत करना होगा।

2.4.5 31 मार्च, 2007 के बाद पंजीकृत आवेदक कंपनी को 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार या बाद की किसी तारीख से बोली जमा करवाने की तारीख तक सांविधिक लेखा परीक्षकों या सांविधिक परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई हो तो सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ भुगतान की गई इक्विटी के माध्यम से केवल अपनी निवल पूंजी को ही दर्शाना होगा।

2.5 प्रबंध संबंधी दक्षता

2.5.1 आवेदक कंपनी को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करनी होगी :

1. वाणिज्यिक या प्रबंध संबंधी दक्षता के प्रमाण के साथ निदेशकों के नाम।
2. निदेशकों द्वारा अन्य सभी कंपनियों/संगठनों में धारित किया निदेशक पद या अन्य कार्यकारी पदों का विवरण, उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ऐसी कंपनियों/संगठनों का विवरण।
3. मुख्य कार्यकारी पदों के नाम अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्तीय मामलों, विपणन और सृजनात्मक विभागों के अध्यक्ष, यदि कोई पद धारण किया गया हो, तो उनके व्यावसायिक योग्यताओं और प्रबंध संबंधी दक्षता के प्रमाण के साथ, उसका विवरण।

2.6 फेज-I / फेज-II के चूककर्ता तथा लाइसेंसधारी

2.6.1 फेज-I के अंतर्गत शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वे चूककर्ता, जिनके आशय-पत्र/लाइसेंस करार को निरस्त कर दिया गया है तथा उन्होंने ऐसे

निरस्तरीकरण पर कोई विवाद खड़ा न करके फेज-।। में भाग लेने के अपने विकल्प का उपयोग किया है, वे इस बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे, परंतु यह उनके निर्धारित पात्रता मानदण्डों के अनुसार पात्र होने के अध्यधीन होगा। इसी प्रकार से फेज-।। के अंतर्गत शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वे चूककर्ता, जिनके आशय-पत्र/लाइसेंस करार को निरस्त कर दिया गया है तथा उन्होंने ऐसे निरस्तीकरण पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया, वे भी इस बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, परंतु यह उनके निर्धारित पात्रता मानदण्डों के अनुसार पात्र होने के अध्यधीन है।

2.6.2 फेज-। के वे लाइसेंसधारी जिन्होंने अपने केन्द्रों का संचालन शुरू कर दिया है वे भी अन्य चैनलों हेतु इस बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे, परंतु यह उनके निर्धारित पात्रता मानदण्डों के अनुसार पात्र होने के अध्यधीन है। तथापि, फेज-। का लाइसेंसधारी या उपरोक्त खण्ड 2.4.1 में दी गई परिभाषा के अनुसार इससे संबंधित कोई कंपनी, ऐसे शहर में चैनल हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होगी जहां के लिए इसके पास फेज-। के तहत पहले से ही लाइसेंस है। **इसी प्रकार से, फेज-।। के अनुमति/एलओआई धारक ऐसे शहर के लिए चैनल हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे जहां के लिए उनके पास पहले ही अनुमति/एलओआई है।**

2.6.3 फेज-।। के वे एलओआई धारक जिनके एलओआई को रद्द कर दिया था, उस शहर में चैनल हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे जिनके लिए उनके एलओआई को रद्द किया गया था।

2.7 वैधता

2.7.1 सफल बोलीदाताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति की सम्पूर्ण अवधि के लिए/अनुमति करार को समाप्त करने या उसकी समाप्ति तक, पात्रता मानदण्डों की अनुपालना करनी होगी।

2.8 मूल्यांकन प्रक्रिया

2.8.1 <u>चरण-I का मूल्यांकन (पात्रता मानदण्ड)</u>

चरण-I हेतु बोली पैक के माध्यम से आवेदकों द्वारा जमा करवाए गए आवेदनों का मूल्यांकन उपरोक्त विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों के आधार पर किया जाएगा। अधूरे आवेदनों या सभी प्रासंगिक निर्धारित दस्तावेजों, **मुख्यत: (i) निर्धारित फार्मेट में निदेशकों का बायो-डाटा; (ii) निर्धारित फार्मेट में निवल पूंजी प्रमाण-पत्र; और (iii) खण्ड-दर-खण्ड अनुपालना,** के बिना जमा करवाए गए आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रक्रिया शुल्क जब्त करने के बाद पंजीकृत डाक के माध्यम से चरण-I हेतु बोली पैक को वापस लौटा दिया जाएगा। यदि आवेदन करने में अभी भी समय बचा हुआ है, तो निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं नियमों के अनुसार नया आवेदन जमा करवाया जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आवेदक कंपनियों द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा अन्य मंत्रालयों के परामर्श से मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऐसे मूल्यांकन के परिणामों तथा तत्संबंधी कारणों के बारे में लिखित में पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रत्येक आवेदक को सूचित करेगा। पूर्व-योग्य होने की स्थिति में, भारत सरकार अन्य

प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे प्रस्तावित आशय-पत्रों/अनुमति करार/प्रसार भारती के साथ पट्टा करार/बेसिल इत्यादि के साथ सेवा करार के प्रारूप के बारे में विवरण की सूचना प्रदान करेगी, जिनकी आवश्यकता प्रत्येक क्यूआईपी को प्रत्येक शहर हेतु अपनी वित्तीय बोली को अंतिम रूप देते समय होती है।

2.8.2 <u>चरण-II (वित्तीय बोलियां) का मूल्यांकन</u>

प्रत्येक शहर हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय बोलियों के आधार पर भारत सरकार ऐसे शहरों हेतु आरक्षित एकमुश्त प्रवेश शुल्क ("**आरक्षित ओटीईएफ**") का निर्धारण करेगी, जो किसी शहर के लिए जमा करवाई गई उच्चतम वित्तीय बोली के 25 प्रतिशत के समान राशि होगी। केवल ऐसी वित्तीय बोलियां जो इस राशि के समान राशि की होगी या आरक्षित ओटीईएफ से अधिक राशि की होगी, उन्हें ही पात्र समझा जाएगा तथा बोली प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ उन्हें वैध माना जाएगा। क्यूआईपी द्वारा जमा करवाई गई वित्तीय बोली में दर्शाई गई राशि ही सफल बोलीदाताओं का चयन करने के लिए एकमात्र मानदण्ड होगा।

नोट : हालांकि किसी शहर हेतु उच्चतम बोली के अतर्कपूर्ण ढंग से कम रहने की स्थिति में, भारत सरकार के पास सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। यदि किसी शहर हेतु उच्चतम बोली (i) ख, ग एवं घ श्रेणियों के शहरों के मामले में एक क्षेत्र और (ii) क+ और क श्रेणियों के शहरों के मामले में, सम्पूर्ण देश की उन्हीं श्रेणियों के शहरों के आरक्षित ओटीईएफ के औसत से कम है, तो इसे अतर्कपूर्ण ढंग से कम बोली कहा जाएगा तथा उस शहर हेतु सभी बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा।

2.9 चयन प्रक्रिया

2.9.1 बोलियां जमा करवाए जाने पर तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त बोलियों का विनिर्दिष्ट अन्य पात्रता शर्तों की संतुष्टि में मूल्यांकन किए जाने पर, उस संबंधित शहर में उपलब्ध चैनलों की संख्या के समान उच्चतम वैध वित्तीय बोलियों वाले क्यूआईपी का चयन सफल बोलीदाताओं के रूप में किया जाएगा।

2.9.2 भारत सरकार द्वारा शहर में उपलब्ध फ्रीक्वेंसी की संख्या से अधिक वैध वित्तीय बोलियों के प्राप्त होने की स्थिति में, असफल परंतु वैध वित्तीय बोलियों वाले क्यूआईपी के पास यह विकल्प होगा कि उनकी सहमति से भारत सरकार, प्रतीक्षा सूची में (''**प्रतीक्षा सूची**'') वित्तीय बोलियों के मूल्य को घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है, बोलियों को शुरू करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक पीबीजी-। को अपने पास रख सकती है। **एक बार दी गई ऐसी सहमति अंतिम तथा बाध्यकारी होगी।** प्रत्येक बोली प्रदाता को वित्तीय बोली में यह दर्शाना चाहिए कि क्या प्रतीक्षा में बने रहने पर उसकी सहमति है या नहीं। तथापि, असफल क्यूआईपी, सफल बोलीदाताओं की घोषणा के **6 माह** बाद किसी भी समय अपनी सहमति को वापस ले सकता है। सभी असफल क्यूआईपी का वित्तीय बोली जमा राशि के संबंध में प्रदान किया गया डिमांड ड्राफ्ट, यदि इसे अन्यथा भारत सरकार द्वारा जब्त न किया गया हो तथा उनकी पीबीजी-। जो प्रतीक्षा सूची में नहीं बने रहना चाहते, विभिन्न शहरों के संबंध में सफल बोलीदाताओं की घोषणा के बाद वापस लौटा दी जाएगी।

2.10 बोली राशि का भुगतान तथा आशय-पत्र जारी करना

2.10.1 सफल बोलीदाताओं को भारत सरकार द्वारा सफल बोलीदाताओं की घोषणा की तारीख से 7 दिन के भीतर अपनी संबंधित वित्तीय बोली के शेष 50 प्रतिशत ("**शेष बोली**") भाग का भुगतान भारत सरकार को करना होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर वित्तीय बोली जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा ऐसा चूककर्ता सफल बोली प्रदाता स्वत: ही 5 वर्षों की अवधि हेतु भारत में एफएम रेडियो हेतु किसी नई बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अयोग्य हो जाएगा।

2.10.2 भारत सरकार द्वारा सफल बोलीदाताओं की घोषणा की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी संबंधित बोलियों के शेष 50 प्रतिशत भाग को सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा करवाए जाने पर तथा निर्धारित अवधि में अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, सफल बोलीदाताओं को पीबीजी-I वापस लौटाने के साथ ही निर्धारित फार्मेट (**परिशिष्ट-ड.**) में एक आशय-पत्र ("एलओआई") जारी किया जाएगा।

2.10.3 आशय-पत्र जारी करने का उद्देश्य तथा लक्ष्य सफल बोलीदाताओं को फ्रीक्वेंसी आबंटन, एसएसीएफए मंजूरी, वित्तीय समापन करने, सभी मुख्य कार्यकारियों की नियुक्ति करने, प्रसार भारती (डीडी/एआईआर)/बेसिल के साथ करार करने, भूमि/टावर पट्टा किराए के रूप में अपेक्षित राशि जमा करने, सामान्य प्रसारण अवसंरचना इत्यादि की स्थापना करने, आरक्षित ओटीईएफ की 10 प्रतिशत राशि के समान राशि को अखंडनीय, बिना शर्त तथा पुष्ट कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी ("**पीबीजी-II**") के रूप में निर्धारित फार्मेट में भारत सरकार के पक्ष में जमा करने तथा अनुमति प्रदान करने हेतु औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए

अपेक्षित पात्रता शर्तों की अनुपालना करने के समर्थ बनाना होता है। पीबीजी-।। शुरूआत में दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा **अनुमति अवधि अर्थात 10 वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति से एक माह पूर्व इसका नवीनीकरण किया जाएगा। दसवें वर्ष में अनुमति धारक पीबीजी-।। को सरकार द्वारा कमी देयता प्रमाण-पत्र जारी करने (अनुमति अवधि की समाप्ति के 28 दिन के भीतर) तक जारी रखेगा।**

2.10.4 प्रत्येक सफल बोली प्रदाता को एलओआई जारी करने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित फार्मेट में उपरोक्त भूमि/टावर पट्टे हेतु प्रसार भारती (डीडी/एआईआर) के साथ एक करार करना होगा तथा इसके 30 दिन बाद निर्धारित फार्मेट में सामान्य प्रसारण अवसंरचना हेतु बेसिल के साथ एक करार करना होगा।

2.10.5 आशय-पत्र जारी होने पर सफल बोली प्रदाता को भारत सरकार द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक पात्रता शर्तों की अनुपालना करनी होगी तथा आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 9 माह के भीतर अनुमति करार को पूरा करना होगा एवं भारत सरकार से लिखित में प्राप्त अन्य अनुदेशों की भी अनुपालना करनी होगी। अनुमति करार **निर्धारित फार्मेट** में किया जाएगा।

2.10.6 सफल बोली प्रदाता/आशय-पत्र धारी द्वारा अनुमति करार की शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहने पर या भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर अनुमति करार को पूरा करने में विफल रहने पर, ऐसे सफल बोली प्रदाता द्वारा जमा करवाई गई सम्पूर्ण वित्तीय बोली राशि को बिना और कोई सूचना दिए,

भारत सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तथा आशय-पत्र और फ्रीक्वेंसी का आबंटन, यदि कोई हो, स्वत: ही रद्द हो जाएगा।

2.10.7 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक चैनलों को वापस लौटाने पर या सफल बोली प्रदाता द्वारा लेन-देन पूरा करने हेतु किसी भी औपचारिकता की अनुपालना करने में विफल रहने पर या उपरोक्त किसी भी औपचारिकता को पूरा करने में चूक हेतु एलओआई रद्द होने पर या अनुमति धारक द्वारा निर्धारित/बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर चैनल को शुरू करने में विफल रहने पर, इस प्रकार से उपलब्ध चैनल को उस शहर हेतु आरक्षित ओटीईएफ पर बिना किसी प्रभाव के, प्रतीक्षा सूची में से अगले उच्चतम क्यूआईपी को आबंटित कर दिया जाएगा।

2.10.8 प्रतीक्षा सूची की स्थिति के अनुसार चैनल प्रदान किए जाने पर, असफल क्यूआईपी को सफल बोली प्रदाता माना जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की गई पीबीजी-I को चैनल प्रदान किए जाने की तारीख को भुना लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑफर प्रदान किए जाने के 7 दिनों के भीतर ओटीईएफ राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी अपेक्षित होगी, ऐसा करने में विफल रहने पर पीबीजी-I की भुनाई गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा वह अगले पांच वर्षों तक भारत में एफएम रेडियो हेतु नए सिरे से होने वाली बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए स्वत: ही अयोग्य हो जाएगा।

2.10.9 इस निविदा दस्तावेज में कुछ प्रतिकूल निहित होने के बावजूद, भारत सरकार को अपने विवेक से राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के कारणों हेतु किसी बोली को रद्द करने या किसी एलओआई को वापस लेने का अधिकार होगा। भारत सरकार

किसी क्यूआईपी को सफल बोलीदाताओं के चयन के संबंध में अपने निर्णय के आधार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

2.11 अनुमति की मंजूरी

2.11.1 अनुमति धारक को रेडियो स्टेशन की स्थापना करने तथा डब्ल्यूओएल प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करनी होगी एवं अनुमति करार की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर चैनल को शुरू करना होगा। अनुमति अवधि की गणना चैनल को शुरू करने की तारीख से या अनुमति करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, जो भी पहले हो, की जाएगी।

2.11.2 अनुमति धारक द्वारा निर्धारित समय अवधि में चैनल को शुरू करने में विफल रहने/अक्षम रहने पर भारत सरकार को ऐसे अनुमति धारकों से प्रथम वर्ष का शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा तथा उसके चूककर्ता होने की स्थिति में पीबीजी-।। से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुमति धारक को आने वाले वर्ष के वार्षिक शुल्क के रूप में नई पीबीजी प्रस्तुत करनी होगी। **किसी चैनल को शुरू करने में हुई चूक यदि बेसिल/प्रसार भारती/वायरलेस योजना एवं समन्वय विंग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपयुक्त अवधि से अधिक किए गए विलंब की वजह से हुई हो तो अनुमति धारक के अनुरोध पर चैनल शुरू करने हेतु निर्धारित समय-सीमा को सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विलम्ब की ऐसी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम तथा दोनों पार्टियों के लिए मान्य होगा।**

2.11.3 अनुमति धारक द्वारा खण्ड 2.11.2 के अंतर्गत दिए गए किसी विस्तार सहित, बढ़ाई गई समय अवधि जो अनुमति करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से अठारह माह से अधिक नहीं होगी, के भीतर भी चैनल को शुरू करने में विफल रहने पर या भारत सरकार द्वारा पीबीजी-।। से भुगतान किए जाने की तारीख से तीन माह की समय अवधि के भीतर आने वाले वर्ष के वार्षिक शुल्क हेतु नई कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहने पर, जो भी पहले हो, भारत सरकार को अनुमति करार को निरस्त करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, अनुमति धारक को अनुमति निरस्त किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए उसी शहर में बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2.11.4 अनुमति धारक द्वारा वार्षिक शुल्क की किसी किस्त का भुगतान नियत तारीख तक न किए जाने की स्थिति में, पीबीजी-।। को या तो पूर्ण रूप से या उसके एक भाग को भुना लिया जाएगा तथा अनुमति धारक को ऐसे किए गए भुगतान की तारीख से 15 दिनों के अंदर पीबीजी-।। के माध्यम से वसूल की गई राशि हेतु एक नई पीबीजी-।। प्रस्तुत करनी होगी।

2.11.5 सफल बोली प्रदाता को बोली प्रक्रिया की अपेक्षाओं के अनुसार जमा करवाई गई राशियों पर किसी ब्याज का कोई अधिकार नहीं होगा।

भाग-3

निजी एजेंसियों द्वारा एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के संचालन हेतु अनुमति की शर्तें

3.1 शुल्क एवं अवधि

3.1.1 अनुमति धारक को भारत सरकार को वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा जो प्रत्येक वर्ष के लिए सकल राजस्व की 4 प्रतिशत की दर से या संबंधित शहर के लिए आरक्षित ओटीईएफ सीमा के 10 प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो, वसूल किया जाएगा। वार्षिक शुल्क का भुगतान चार समान किस्तों में तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस उद्देश्यार्थ, तिमाही क्रमश: 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तीन माह की अवधि होगी।

3.1.2 इस उद्देश्यार्थ सकल राजस्व, नकदी का सकल अन्त: प्रवाह होगा, चाहे यह प्राप्तियों से मिले या एफएम रेडियो प्रसारण उपक्रम द्वारा सेवाएं प्रदान करने तथा उपक्रम के अन्य संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त किराया, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, कमीशन इत्यादि हो या उसके सामान्य कार्यकलापों से मिलने वाली प्राप्तियां हों। इस प्रकार से सकल राजस्व की गणना, करों एवं एजेंसी के कमीशन को घटाए बिना, बिलों की दरों, विज्ञापनदाताओं को दी गई निवल छूट के आधार पर की जाएगी। बारटर विज्ञापन अनुबंधों को भी प्रासंगिक बिल दरों के आधार पर सकल

राजस्व में शामिल किया जाएगा। यदि अनुमति धारक अन्य उन कंपनियों से सेवाओं और वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है या प्रदान कर रहा है, जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण अनुमति धारक के मालिकों द्वारा किया जाता है, तो इन सभी लेन-देन की कीमत सामान्य वाणिज्यिक दरों पर आंकी जाएगी तथा अनुमति धारक के सकल राजस्व की गणना करते समय इसे लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाएगा।

3.1.3 अनुमति करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रथम वर्ष को कमीशन अवधि माना जाएगा। प्रथम वर्ष के शुल्क का भुगतान चैनल को शुरू करने की तारीख से या अनुमति करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने, जो भी पहले हो, देय होगा। अनुमति धारक को आरक्षित ओटीईएफ फार्मूले के आधार पर प्रथम अग्रिम तिमाही किस्त का भुगतान कमीशन अवधि के 15 दिनों के भीतर करना होगा तथा इसके बाद वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक आने वाली तिमाही के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

3.1.4 सकल राजस्व शेयर फार्मूले के आधार पर एक बार वित्तीय वर्ष हेतु अंतिम शुल्क का निर्धारण किए जाने के बाद, इसे यदि आरक्षित ओटीईएफ फार्मूले से अधिक पाया जाता है तो अनुमति धारक को ऐसे निर्धारण की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर शेष नियत राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा तथा यह भुगतान किसी भी स्थिति में आने वाले वर्ष के 30 सितम्बर के बाद नहीं होना चाहिए।

3.1.5 दूसरे वर्ष से, अनुमति धारक को **पिछले वर्ष** के सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की दर से या आरक्षित ओटीईएफ के 10 प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो, अग्रिम वार्षिक शुल्क का भुगतान प्रत्येक तिमाही के प्रथम पखवाड़े के भीतर करना होगा तथा अंतिम वार्षिक शुल्क की शेष नियत राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक करना होगा।

3.1.6 प्रत्येक अनुमति धारक को आरक्षित ओटीईएफ फार्मूले के आधार पर गणना किए गए वार्षिक शुल्क की राशि हेतु बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी तथा अनुमति की पूरी अवधि के दौरान इसकी वैधता को बनाए रखना होगा। निर्धारित वार्षिक शुल्क के भुगतान में की गई गई किसी भी चूक को बैंक गारंटी से पूरा किया जाएगा और यदि नियत राशि अधिक है तो अनुमति धारक को ऐसा करे जाने के 15 दिनों के भीतर, शेष राशि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

3.1.7 प्रत्येक अनुमति धारक को चैनल हेतु अलग से वित्तीय लेखे रखने होंगे, जिनकी लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर, कंपनी फार्मेट (च) के अनुसार अनुमति धारक के अंतिम लेखाओं के एक भाग सकल राजस्व का विवरण प्रस्तुत करेगी, जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित हो। यह नोट किया जाना चाहिए कि **परिशिष्ट च** में विनिर्दिष्ट आय शीर्ष केवल सांकेतिक तथा उदाहरण के लिए है तथा लेखा परीक्षक

सकल राजस्व के लिए उपयुक्त सभी प्रासंगिक शीर्षों को शामिल करेगा चाहे उन्हें विशेष तौर पर कथित फार्मेट में शामिल किया गया हो या न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, संबंधित पार्टियों से प्राप्त आय का मिलान लेखांकन मानक संख्या 18 के अनुसार संबंधित पार्टी अनुसूची से किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित सूचनाओं को प्रकट करेगी, जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित हो :

(i) कुल व्यापार और अन्य छूट।

(ii) कुल एजेंसी कमीशन।

(iii) कुल संबंधित पार्टी लेन-देन।

3.1.8 यह सत्यापित करने के लिए कि सकल राजस्व को सही ढंग से प्रकट किया गया है या नहीं, भारत सरकार को अपने विवेक से अनुमति धारक के लेखाओं का नियंत्रक एवं महालेखाकार या अन्य व्यावसायिक लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षण करवाने का अधिकार होगा। सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए सकल राजस्व में यदि अंतर आता है तो सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के विचारों को, अनुमति धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के अध्यधीन, ही माना जाएगा तथा ऐसी लेखा परीक्षा पर हुए खर्च को अनुमति धारक द्वारा ही वहन किया जाएगा।

3.1.9 फेज-।। के तहत प्रत्येक अनुमति दस वर्षों की अवधि के लिए होगी। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा तथा अवधि के समाप्त होते ही यह स्वत: ही समाप्त

हो जाएगी तथा अनुमति धारक को समापन तारीख के बाद चैनल को संचालित करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा।

3.1.10 यह अनुमति मुख्य कैरियर पर श्रव्य सामग्री तथा उप-कैरियर पर डाटा सामग्री के फ्री-टू-एयर प्रसारण के लिए होगी, जिसमें समाचारों तथा समसामयिक मामलों दोनों को ही शामिल नहीं किया जाएगा।

3.2 प्रतिबंध

3.2.1 कोई भी कम्पनी और इसकी संबंधित कम्पनियां 2.4.1 के अनुसार देश में आबंटित सभी चैनलों के 15 प्रतिशत से अधिक चैनलों की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकेंगी।

3.2.2 कोई भी अनुमति धारक किसी दीर्घकालीन उत्पादन या अधिप्राप्ति प्रबंध के माध्यम से अपनी कुल विषय-वस्तु के 50 प्रतिशत से अधिक को आऊटसोर्स नहीं करेगा, जिसमें से इसकी कुल विषय-वस्तु का 25 प्रतिशत से अधिक एक ही विषय-वस्तु प्रदाता को आऊटसोर्स नहीं किया जाएगा। ('दीर्घकालीन' का अर्थ है 11 माह से अधिक की कोई भी अवधि तथा इसमें बार-बार किए गए नवीकरणों को भी शामिल किया जाएगा।)

3.2.3 कोई भी अनुमति धारक दीर्घकालीन आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक प्रसारण उपकरणों को किराए या पट्टे पर नहीं लेगा ('दीर्घकालीन' का अर्थ है ग्यारह माह से अधिक की कोई भी अवधि, इस अवधि की समाप्ति पर अनुमति धारक

परिसम्पत्तियों का मालिक बन जाता है तथा एक ही पार्टी या इससे संबंधित पार्टियों से बार-बार किए नवीकरणों/पट्टे के विस्तार को भी इसमें शामिल किया जाएगा।)

3.2.4 कोई भी अनुमति धारक खण्ड 2.4.1 में निर्धारित मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं और इनकी संबंधित कम्पनियों के अलावा किन्हीं अन्य अनुमति धारकों या कम्पनियों से उधार लेने या लैंडिंग का कोई करार नहीं करेगा, जो इसके प्रबंधन या अधिप्राप्ति के लिए सृजनात्मक विवेक या प्रसारण विषय-वस्तु या इसके मार्केटिंग अधिकारों को सीमित कर सकता है।

नोट : प्रत्येक अनुमति धारक निर्धारित फार्मेट के अनुसार लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ खण्ड 3.2 की अनुपालना हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

3.3 क्रॉस मीडिया स्वामित्व

3.3.1 यदि अनुमति अवधि के जारी रहने के दौरान, क्रॉस-मीडिया स्वामित्व पर सरकार की नीति की घोषणा की जाती है, तो अनुमति धारक को ऐसी अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर कथित नीति में निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर उसे अनुमति करार की गैर-अनुपालना समझा जाएगा तथा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बशर्ते यदि अनुमति धारक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

की संतुष्टि के अनुसार विश्वसनीय कारणों की वजह से क्रॉस-मीडिया प्रतिबंधों की अनुपालना करने की स्थिति में नहीं है तो अनुमति धारक को एक महीने की निकासी सूचना जमा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा तथा शेष अवधि हेतु प्रवेश शुल्क, जिसकी गणना यथा अनुपात आधार पर की जाएगी, अनुमति धारक को वापस लौटा दिया जाएगा।

3.4 आचार संहिता

3.4.1 कोई भी अनुमति धारक अन्य अनुमति धारकों पर वाणिज्यिक बढ़त प्राप्त करने के लिए अपने चैनल की पहचान करने हेतु ब्रांड के नाम या मालिकों के नाम या कारपोरेट समूह के नामों का प्रयोग नहीं करेगा। अनुमति धारक कंपनियों, उत्पाद या सेवा के मौजूदा नामों, एफएम स्टेशन/चैनल की पहचान के रूप में ब्रांड के नामों का प्रयोग नहीं करेगा। **अनुमति धारक को चैनल की पहचान का उपयोग करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।**

3.4.2 अनुमति धारक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उस पार्टी जिससे कार्यक्रम आऊटसोर्स किया है तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच कोई संबंध नहीं है।

3.4.3 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उस अवधि या अवधियों हेतु, जिसे यह उचित समझे, एक या एक से अधिक अनुमति धारकों की अनुमति को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अधिकार होगा तथा अनुमति

धारक को तुरंत प्रभाव से सरकार द्वारा जारी किए निदेशों की अनुपालना करनी होगी।

3.4.4 अनुमति गैर-हस्तांतरणीय है। अनुमति धारक किसी अन्य को उप-अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

3.4.5 यह अनुमति भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1993 तथा इनमें समय-समय पर किए गए यथा संशोधनों एवं प्रसारण पर लागू ऐसे अन्य कानून, जो लागू हो चुके हैं या जिन्हें लागू किया जा सकता है, द्वारा अभिशासित होगी।

3.4.6 अनुमति धारक सम्पूर्ण या आंशिक रूप में चैनल/प्रसारण सेवा को पट्टे पर नहीं देगा।

3.4.7 अनुमति धारक अनुमति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान निविदा दस्तावेज में निर्धारित की गई पात्रता शर्तों को पूरा करना जारी रखेगा।

3.4.8 इन दस्तावेजों में किसी बात के निहित होने के बावजूद, अनुमति की स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि जब कभी भी देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने तथा मॉनीटर करने हेतु किसी विनियामक प्राधिकरण का गठन

किया जाएगा, तो अनुमति धारक को ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों, नियमों एवं विनियमों की अनुपालना करनी होगी।

3.4.9 किसी भी अनुमति धारक को, चाहे विदेशी निवेश के साथ हो या उसके बिना हो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति के बगैर अधिसंख्य शेयरधारकों/प्रोमोटर्स के शेयरों को किसी नए शेयरधारक के पास स्थानांतरित करके कंपनी के स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा, जो अनुमति के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक प्रदान नहीं की जाएगी, परंतु इस शर्त के अध्यधीन होगी कि नए शेयरधारक सभी निर्धारित पात्रता मानदण्डों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

3.5 कार्यक्रम विषय-वस्तु तथा प्रसारण की गुणवत्ता

3.5.1 अनुमति धारक को केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक हित की घोषणाओं का भी प्रसारण करना होगा तथा इस उद्देश्यार्थ प्रतिदिन अधिकतम एक घण्टा निर्धारित किया जाएगा। यदि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की कुल मांग एक घण्टे से भी अधिक होती है, तो संबंधित राज्य सरकार केन्द्र सरकार की मांग पूरा होने के बाद शेष बची अवधि में ही अपनी घोषणाओं को शामिल करने के लिए पात्र होगी।

3.5.2 अनुमति धारक को आल इंडिया रेडियो द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, या कोई अन्य कोड, जिसको लागू किया जाता है, अनुपालन किए जा रहे कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड की अनुपालना करनी होगी।

3.5.3 अनुमति धारक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों का कम से कम पचास प्रतिश (50 प्रतिशत) भाग भारत में तैयार किया गया हो।

3.5.4 अनुमति धारक प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेतु विशेष रूप से जिम्मेवार होगा तथा अनुमति धारक द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रसारण से होने वाले किसी भी नुकसान, हानि या दावे की वह क्षतिपूर्ति करेगा तथा भारत सरकार को इस तरह की क्षतिपूर्ति से दूर रखेगा।

3.6 तकनीकी पैरामीटर्स

3.6.1 अनुमति धारक प्रसारण तथा सेवा की श्रव्य सामग्री की गुणवत्ता, दोनों ही मामलों में निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटरों एवं मानकों की अनुपालना करेगा।

3.6.2 एंटीना सहित प्रसारण उपस्करों को निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटरों के अनुरूप होना चाहिए :

श्रेणी	**आधार (निम्न में से एक या एक से अधिक)**	**प्रभावी रेडिएटिड शक्ति (ईआरपी) (किलोवाट)**		**एंटीना की ऊंचाई (मीटर)**	
		न्यूनतम	**अधिकतम**	**न्यूनतम**	**अधिकतम**

क+	महानगर दिल्ली मुम्बई	25	50	 75 75	 200 175
क	20 लाख से अधिक जनसंख्या	10	30	75	150
ख	10 लाख से अधिक तथा 20 लाख तक की जनसंख्या	5	15	50	100
ग	3 लाख से अधिक तथा 10 लाख तक की जनसंख्या	3	10	30	75
घ	1 लाख से अधिक तथा 3 लाख तक की जनसंख्या	1	3	20	40

[नोट 1: जिन मामलों में प्राकृतिक बाधाओं या ईएचएएटी के निर्धारित मूल्यों को पूरा करने वाले प्रसार भारती के उपयुक्त टावरों की अनुपलब्धता के कारण ईएचएएटी की निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना संभव न हो, वहां अनुमति धारक को अपने ट्रांसमीटरों की ईआरपी को समायोजित करना होगा ताकि अधिकतम ईआरपी तथा अधिकतम ईएचएएटी, जैसा भी निर्धारित किया जाए, के मेल की वजह से उसकी सीमा से अधिक न होने वाले आरएफ सिगनल को स्थापित किया जा सके।]

नोट 2 : आंतरिक संरचना के मामले में, एलओआई/अनुमति धारक, जहां तक भी व्यावहारिक हो, संबंधित शहरों हेतु निर्धारित तकनीकी पैरामीटरों की अनुपालना करेगा। यदि यह संभव न हो, तो इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक संरचना से कवरेज, स्थायी संरचना के कवरेज क्षेत्र से 60 प्रतिशत से कम न हो।

3.6.3 अनुमति धारक प्रत्येक केन्द्र पर आईटीयू-आर (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन) की सिफारिशों, अर्थात 450-1, 467, 646 और 644-1, के अनुरूप एफएम साऊंड प्रसारण हेतु श्रव्य एवं प्रसारण मानकों की अनुपालना करेगा।

3.6.4 अनुमति धारकों को आईटीयू-आर की सिफारिशों अर्थात 643-1 और बीएस-1194 के अनुरूप एफएम उप-कैरियर, जब कभी इन्हें शुरू किया जाता है, पर डाटा प्रसारण के तकनीकी मानकों की भी अनुपालना करनी होगी।

3.7 मॉनीटरिंग, जन शिकायतें एवं सरकार द्वारा निरीक्षण

3.7.1 अनुमति धारक को अपनी स्वयं की लागत पर, (क) भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर, प्रसारण सेवाओं की सतत् मॉनीटरिंग हेतु आवश्यक अवसंरचना प्रदान करनी होगी, (ख) प्रसारित की गई सामग्री की रिकार्डिंग को प्रसारण की तारीख से तीन माह की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा तथा आवश्यक होने पर इसे भारत सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

अनुमति धारक को अपने प्रसारण के संबंध में जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए भारत सरकार द्वारा मांगी जाने वाली अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करनी होंगी।

अनुमति धारक को भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम विषय-वस्तु तथा गुणवत्ता के संबंध में तथा प्रसारण से संबंधित तकनीकी पैरामीटरों इत्यादि के संबंध में मांगी जाने वाली सूचनाएं समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फार्मेट में आवधिक अंतराल पर प्रस्तुत करनी होगी।

3.8 प्रदान किए गए लाइसेंसों के गैर-संचालन हेतु शास्ति

3.8.1 प्रत्येक अनुमति धारक को अनुमति करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12 महीने के भीतर या खण्ड 2.11.2 के अंतर्गत बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर, यदि कोई हो, चैनल को संचालित करना होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुमति धारक पर ऐसे निरस्तीकरण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि हेतु उसी शहर में दूसरे चैनल के आबंटन पर रोक लगा दी जाएगी। इस प्रकार से जारी की गई फ्रीक्वेंसी नए सफल बोली प्रदाता को प्रदान कर दी जाएगी।

3.8.2 भारत सरकार अनुमति को उस स्थिति में भी निरस्त कर सकती है यदि किसी भी कारण से छः माह से अधिक अवधि के लिए चैनल के प्रसारण को रोक दिया जाए।

3.9 नेटवर्किंग

3.9.1 एक अनुमति धारक को केवल एक ही क्षेत्र के भीतर 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के शहरों में अपने चैनलों को नेटवर्क करने की अनुमति दी जाएगी।

3.9.2 किन्हीं भी दो अनुमति धारकों को किसी भी श्रेणी के शहरों में अपने चैनलों को नेटवर्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.10 विदेशी निवेश

3.10.1 यदि अनुमति अवधि के जारी रहने के दौरान, एफडीआई/एफआईआई पर सरकार की नीतियों को आशोधित किया जाता है तो अनुमति धारक को ऐसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर इसे अनुमति करार की गैर-अनुपालना माना जाएगा तथा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3.11 सह-स्थापन

3.11.1 फेज-।। (रिक्त चैनलों हेतु बोली) के सभी संचालकों के लिए निर्धारित शर्तों एवं नियमों पर सभी 48 शहरों में प्रसारण सुविधाओं का सह-स्थापन करना अनिवार्य किया गया है। 45 शहरों में, सुविधाओं की सह-स्थापना मौजूदा एआईआर/डीडी टावरों पर की जाएगी जबकि शेष 3 शहरों में, इस उद्देश्यार्थ मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रसारण इंजीनियरिंग परामर्शक लिमिटेड ("**बेसिल**") के माध्यम से नए टावरों का निर्माण करवाया जाएगा। उन शहरों का विवरण जहां सह-स्थापन हेतु

एआईआर/डीडी टावरों का प्रयोग किया जाएगा तथा जहां नए टावरों का निर्माण करवाया जाएगा, अनुसूची-1 में उपलब्ध है।

3.11.2 नियत समय पर बेसिल द्वारा सह-स्थापन सुविधाओं का सृजन लंबित होने पर, सफल बोलीदाताओं को इन 3 शहरों में अपने चैनलों को, दो वर्ष की अवधि हेतु या सह-स्थापन सुविधा को शुरू किए जाने तक, जो भी बाद में हो, व्यक्तिगत आधार पर, संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसकी समाप्ति पर वे अपने संचालनों को नई सुविधाओं वाले स्थल पर स्थानांतरित करेंगे। अपने व्यक्तिगत चैनल को संचालित करने की अनुमति, ऐसे प्रत्येक सफल बोली प्रदाता को बीईसीआईएस के साथ करार करने के उपरांत तथा संयुक्त अवसंरचना में अपने हिस्से के पूरे भुगतान पर ही, प्रदान की जाएगी।

3.11.3 बेसिल संयुक्त प्रसारण अवसंरचना प्रदान करने हेतु एक प्रणाली समेकन के रूप में कार्य करेगा तथा एलओआई धारकों/अनुमति धारकों की निर्धारित शर्तों एवं नियमों के आधार पर एसएसीएफए मंजूरी तथा फ्रीक्वेंसी आबंटन प्राप्त करने में मदद करेगा। अनुमति प्रदान किए जाने के बाद, प्रत्येक अनुमति धारक वायरलेस संचालन लाइसेंस प्राप्त करेगा जिसके लिए वायरलेस योजना एवं समन्वय विंग, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा।

3.12 जुर्माना/दंड

3.12.1 यदि कोई अनुमति धारक अपनी सुविधाओं का उपयोग आपत्तिजनक, अनाधिकृत विषय-वस्तु, संदेशों या सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल संचार का प्रसारण करने के लिए करने देता है या उपरोक्त पैरा 3.4.3 में दिए गए निदेशों की अनुपालना करने में विफल रहता है तो दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुमति धारक को अन्य लागू कानूनों के तहत दंड दिए जाने के अतिरिक्त उसे भविष्य में ऐसी अनुमति धारण करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

3.12.2 उपरोक्त पैरा 3.12.1 तथा 3.8.2 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन, यदि कोई अनुमति धारक अनुमति की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करता है या एफएम रेडियो नीति के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है तो भारत सरकार को निम्नलिखित दंड देने का अधिकार होगा :-

1. प्रथम बार उल्लंघन किए जाने पर, अनुमति को निलंबित कर दिया जाएगा तथा 30 दिनों की अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।
2. दूसरी बार उल्लंघन किए जाने पर, अनुमति को निलंबित कर दिया जाएगा तथा 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।
3. तीसरी बार उल्लंघन करने पर, अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा प्रसारण पर अनुमति की शेष अवधि हेतु रोक लगा दी जाएगी।

4. यदि अनुमति धारक निर्धारित समय के भीतर दिए गए दण्डों की अनुपालना करने में विफल रहता है तो अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुमति की शेष अवधि हेतु प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी एवं भविष्य में 5 वर्षों की अवधि हेतु नई अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

3.12.3 उपरोक्त पैरा 3.4.3 या 3.12.2 में बताए अनुसार अनुमति को निलंबित किए जाने की स्थिति में अनुमति धारक शुल्क के भुगतान सहित अनुमति करार के तहत अपनी सभी बाध्यताओं को पूरा करता रहेगा।

3.12.4 अनुमति को निरस्त किए जाने की स्थिति में, अनुमति धारक के वापस न लौटाए जाने वाले एकमुश्त प्रवेश शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। सरकार उपरोक्त किसी भी दंड को लगाए जाने की स्थिति में, चैनलों को संचालित करने हेतु किए गए किसी भी निवेश, जो पूंजी और संचालन खर्च तक सीमित नहीं है, के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

3.12.5 उपरोक्त किसी भी दंड को केवल उल्लंघन को चिन्हित करते हुए अनुमति धारक को लिखित में सूचना देने के उपरांत तथा इसे ठीक करने का अवसर प्रदान करने के बाद, यदि इसका स्वरूप इसकी अनुमति देता हो, अन्यथा 15 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करके तथा ऐसे सुधार और/या दर्शाए गए कारण से संतुष्ट न होने पर ही लागू किया जाएगा।

3.13 विवाद निपटान तंत्र

3.13.1 अनुमति करार के तहत या उसके संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद को, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय विशेष रूप से अनुमति करार के तहत प्रदान किया गया है, टेलीकॉम विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी), नई दिल्ली के पास भेजा जाएगा।

3.14 अनुमति अवधि के दौरान विशेष आकस्मिक स्थिति

3.14.1 अनुमति अवधि के दौरान यदि किसी भी समय युद्ध, आक्रामकता, शत्रु के कार्यों, गृह युद्ध, तोड़-फोड़, आग, बाढ़, राज्य या केन्द्र की कार्रवाई, विस्फोट, महामारी, संक्रामकता प्रतिबंध, ऐसी हड़ताल जो प्रभावित पार्टी की किसी बाध्यता के निष्पादन में वास्तव में प्रभाव डाल रही हो, या दैवीय कार्यों (इन सभी को या इनमें से किसी एक को इसके बाद विशेष आकस्मिक स्थिति कहा जाएगा) की वजह से किसी भी पार्टी द्वारा किसी बाध्यता के निष्पादन में यदि विलंब होता है, या वे इसे पूरा नहीं कर पाती हैं तो कोई भी पार्टी, ऐसी विशेष आकस्मिक स्थिति के कारण इस अनुमति को समाप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होंगी, न ही कोई पार्टी दूसरी पार्टी से नुकसान की भरपाई का दावा करेगी, यदि ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में हुए विलंब के लिए ऐसी किसी विशेष आकस्मिक स्थिति की सूचना इसके होने के 21 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, बशर्ते इस अनुमति के तहत ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति के समाप्त होने या उसके समाप्त होने के बाद सेवाओं को जितना जल्दी व्यावहारिक हो, पुनः बहाल किया जाएगा। सेवाओं को बहाल किए जाने या न किए जाने के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम तथा निर्णायक होगा।

3.14.2 यदि ऐसी किसी विशेष आकस्मिक स्थिति की वजह से अनुमति धारक का प्रसारण दो माह की अवधि से अधिक समय तक बंद रहता है तो सभी पार्टियां मिलकर बैठेंगी तथा भविष्य की कार्रवाई पर विचार करेंगी।

3.14.3 भारत सरकार उपरोक्त विशेष आकस्मिक स्थिति के कारण उन मामलों में वार्षिक शुल्क में कोई छूट प्रदान नहीं करेंगी, जहां अनुमति धारक प्रसारण को जारी रखने का निश्चय करता है। बशर्ते, हालांकि भारत सरकार अपने विवेक से, यदि ऐसी स्थिति होने के दो माह बाद भी प्रसारण को जारी नहीं रखा जा सकता हो, तो उन उपयुक्त मामलों में छूट प्रदान कर सकती है।

3.15 राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य शर्तें

3.15.1 अनुमति धारक द्वारा अपनी सेवाओं के प्रतिस्थापन, अनुरक्षण तथा संचालन हेतु नियुक्ति, अनुबंध, परामर्श इत्यादि के माध्यम से संभावित तौर पर तैनात किए जाने वाले सभी विदेशियों को अपनी तैनाती से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

3.16 सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यकता

3.16.1 अनुमति धारक को भारत सरकार को दस्तावेजों, रिपोर्टों, लेखाओं, अनुमानों, रिटर्न या अन्य सूचनाओं जैसे निदेशक बोर्ड, इक्विटी धारिता पैटर्न इत्यादि में परिवर्तन या अन्य कोई सूचना ऐसे आवधिक अंतरालों या समय पर प्रस्तुत करनी होगी, जब भारत सरकार को इनकी आवश्यकता हो।

अनुसूची-I*

निजी एफएम रेडियो प्रसारण के चरण-।। के रिक्त चैनलों के लिए बोली हेतु प्रस्तुत किए गए एफएम चैनल

क. ऐसे शहरों जिनमें सामान्य बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा तैयार की जाएंगी, में एफएम चैनल।

क्र.सं.	शहर	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बोली के लिये उपलब्ध चैनलों की संख्या
	श्रेणी – क+		
1	दिल्ली	दिल्ली	1
	श्रेणी – क		
2	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	3
	श्रेणी – ग		
3	देहरादून	उत्तरांचल	4
	कुल		**8**

ख. ऐसे शहरों जहां प्रसारणकर्ता प्रसार भारती टावर पर सामान्य बुनियादी सुविधाओं के लिये हिस्सेदारी करेंगे, में एफएम चैनल।

क्र.सं.	शहर	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बोली के लिये उपलब्ध चैनलों की संख्या
	श्रेणी – क+		
4	मुम्बई	महाराष्ट्र	2
	श्रेणी – क		
5	अहमदाबाद	गुजरात	1
6	बंगलौर	कर्नाटक	1
7	नागपुर	महाराष्ट्र	2
	श्रेणी – ख		
8	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1
9	जमशेदपुर	झारखंड	1
10	पटना*	बिहार	3
	श्रेणी – ग		
11	अजमेर	राजस्थान	1
12	अकोला	महाराष्ट्र	2
13	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	1
14	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	1

15	बरेली	उत्तर प्रदेश	2
16	भुवनेश्वर/कटक	उड़ीसा	1
17	बीकानेर	राजस्थान	3
18	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	2
19	धुले	महाराष्ट्र	1
20	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	3
21	गुलबर्गा	कर्नाटक	2
22	जलगांव	महाराष्ट्र	1
23	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	2
24	झांसी	उत्तर प्रदेश	3
25	कोटा	राजस्थान	1
26	मुज्जफरपुर	बिहार	3
27	मैसूर	कर्नाटक	2
28	नांदेड	महाराष्ट्र	2
29	राजामुंद्री	आंध्र प्रदेश	2
30	राउरकेला	उड़ीसा	2
31	सागर	मध्य प्रदेश	4
32	शोलापुर	महाराष्ट्र	1
33	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर	3
34	त्रिची	तमिलनाडु	2
35	तिरूनेवेली	तमिलनाडु	1

36	तुतीकोरीन	तमिलनाडु	1
37	उदयपुर	राजस्थान	1
38	वारंगल	आंध्र प्रदेश	2
	श्रेणी – घ		
39	अगरतला	त्रिपुरा	3
40	आईजोल	मिजोरम	3
41	दमन	दमन व दीव	1
42	गैंगटोक	सिक्किम	1
43	इम्फाल	मणिपुर	4
44	ईटानगर	मणिपुर	3
45	कोहिमा	नागालैंड	4
46	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान व निकोबार	4
47	शिलांग	मेघालय	2
48	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1
	कुल		**89**
	सकल योग		**97**

*9.6.2007 को ठीक किया गया। पहले यह भूल से निम्न प्रकार दर्शाया था :

28	पटियाला	पंजाब	3

पटियाला में कोई रिक्त चैनल नहीं है।

परिशिष्ट-क

चरण-I आवेदन फार्म

(एफएम रेडियो प्रसारण फेज-II के लिये पूर्व-योग्यता बोली)

सचिव,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार,

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

महोदय,

यह पत्र एफएम रेडियो चैनल (फेज-II) के आबंटन के लिये वित्तीय बोली प्रक्रिया में बाद में भागीदारी करने के लिये पूर्व-योग्यता बोली आमंत्रित करने के लिये दिनांक ..... के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एनआईटी पत्र के संदर्भ में है। मैं एतद्द्वारा अन्य विवरणों के अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज में यथा-निर्धारित पात्रता मानदण्ड के समर्थन में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करता हूँ :

1.	आवेदक कम्पनी का नाम और स्थिति (प्रा0लि0/सार्वजनिक लि0)	:	

2.	टेलीफोन/फैक्स नं., ई-मेल आईडी सहित डाक का पूरा पता (i) कारपोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय	:	
	ii) पंजीकृत कार्यालय	:	

3.	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित पत्राचार का पता	:	

4.	प्राधिकृत व्यक्ति जिससे सम्पर्क किया जा सके, उसका पदनाम और टेलीफोन/फैक्स नं./ई-मेल आईडी	:	

5.	प्रक्रिया शुल्क और उसका ब्यौरा	:	

6.	शामिल किये जाने की संख्या और दिनांक (शामिल किये जाने के प्रमाण-पत्र और संघ के ज्ञापन तथा अंतर्नियमों की प्रति संलग्न करें)	:	

7. प्रवर्तकों और अधिकांश शेयरधारकों का ब्यौरा

(राशि और चुकता इक्विटी की प्रतिशतता के अनुसार धारण की गई इक्विटी तथा

नाम, पता, सम्पर्क करने के लिये टेलीफोन के संबंध में उल्लेख करते हुए अलग से शीट संलग्न करें)

8.	कम्पनी का ब्यौरा	:	

8.1	निदेशक मंडल (भाग 1 के खण्ड 2.5.1 के अनुसार यथा-अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त प्रत्येक निदेशक की जन्मतिथि, जन्म स्थान, अभिभावकों की स्थिति, राष्ट्रीयता, स्थाई पते, आवासीय पते, कार्यालयी पते, पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो), योग्यता, अनुभव, पेरेंटेज इत्यादि का उल्लेख करते हुए उनके जीवनवृत्त के साथ निदेशकों की सूची संलग्न करें)	:	

8.2	इक्विटी	:	

राशि (रु. लाख में)

(क)	प्राधिकृत पूंजी :	:	
		:	

(ख)	जारी की गई और चुकता पूंजी	:	राशि (रु.लाख में)	प्राधिकृत पूंजी की प्रतिशतता के रूप में

(ग)	धारित इक्विटी का वर्गीकरण	:	राशि (रु.लाख में)	चुकता पूंजी (ख) की प्रतिशतता के रूप में

(i)	भारतीय प्रवर्तकों/अधिकांश शेयरधारियों द्वारा धारित कुल इक्विटी	:	

(ii)	प्रवर्तकों/अधिकांश शेयरधारियों के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समानुपाती	:	

	हिस्सेदारी		

(iii)	भारतीय वित्तीय संस्थाएं और बैंक	:	

(iv)	अन्य भारतीय शेयरधारी	:	

(v)	बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी की कुल निवल चुकता इक्विटी के संबंध में अधिकांश शेयरधारियों की इक्विटी की प्रतिशतता	:	

(vi)	सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश धारिता (ओसीबी, पीआईओ, एनआरआई इत्यादि सहित- इसका ब्यौरा दिया जाए)	:	

(vii)	अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/एफआईआई (भारतीय प्रवर्तकों और अधिकांश शेयरधारियों की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समानुपाती हिस्सेदारी)	:	

(viii)	विदेशी संस्थागत निवेशक/पोर्टफोलियो निवेश	:	

9.	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार आवेदक कम्पनी का निवल मूल्य। (कृपया परिशिष्ट छ के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षक से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	:	

10. ऐसे शहरों और क्षेत्रों की श्रेणियां जिनमें आवेदक कम्पनी अपनी निवल मूल्य पात्रता की सीमा में बोली प्रक्रिया में भागीदारी करने की इच्छुक है :

(कृपया अपने प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिये नीचे के प्रासंगिक वर्गों में निशान लगाएं और प्रत्येक वर्ग के लिये अपेक्षित निवल मूल्य के आधार पर कुल निवल मूल्य अपेक्षा की गणना करें)

श्रेणियां/क्षेत्र	उत्तर	पूर्व	पश्चिम	दक्षिण	कुल
क+					
क					
ख					
ग					
ड.					
कुल					

नोट 1 : कृपया शहरों की संख्या अथवा नाम नहीं दर्शाएं।

नोट 2 : 10 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन प्रति श्रेणी प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर निवल मूल्य अपेक्षा निर्धारित की गई है और किसी विशेष श्रेणी/क्षेत्र में शहरों की संख्या से इसका कोई संबंध नहीं है।

11. वित्तीय पात्रता के संबंध में इसके दावे का समर्थन करने के लिये पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें तथा लेखा परीक्षित लेखाओं अथवा नई शामिल की गई कम्पनी के मामले में इसे शामिल किये जाने की तारीख से 31 मार्च, 2007 तक के तुलन-पत्र जो सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किये गये हों।

12. निविदाकार को प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिये निविदा हेतु हस्ताक्षर करने के संबंध में प्राधिकृत करने के लिये लिखित पावर ऑफ अटार्नी संलग्न की जाए।

13. कृपया यह दर्शाएं कि निविदा दस्तावेज के खण्ड 2.2 के प्रावधानों के अनुसार क्या कम्पनी अयोग्य है।

14. (क) कृपया यह दर्शाएं कि क्या कम्पनी अथवा इससे संबंधित कोई अन्य कम्पनी चरण-I / चरण-II के दौरान फ्रीक्वेंसी/चैनल आबंटन की प्रक्रिया में सफल बोलीदाता रहे हैं (हां/नहीं)। यदि हां, तो इनके प्रचालित और गैर-प्रचालित स्टेशनों, जैसा भी मामला हो का ब्यौरा दिया जाए।

(ख) सरकार द्वारा एलओआई/एलए को रद्द किये जाने के मामले में क्या कम्पनी अथवा इससे संबंधित कम्पनियों ने चरण-I / चरण-II से संबंधित एलओआई/एलए को

रद्द करने का केस लड़ा है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कम्पनी ने चरण-।। में भागीदारी करने के अपने विकल्प का उपयोग किया है (हां/नहीं)। [कृपया अपने विकल्प की प्रति प्रस्तुत करें।]

15. संलग्न किये जाने वाले समर्थक दस्तावेजों की सूची

1. कम्पनी का ज्ञापन और इसके अंतर्नियम;
2. कम्पनी रजिस्टार द्वारा जारी किये गये कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;
3. पिछले तीन वर्षों (जहां लागू हो) की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं की प्रतियां;
4. कम्पनी के सभी निदेशकों की योग्यताओं/अनुभव इत्यादि का ब्यौरा देते हुए उनका जीवन-वृत्त;
5. सांविधिक लेखा परीक्षकों की ओर से कम्पनी के निवल मूल्य और कुल विदेशी शेयरधारिता से संबंधित प्रमाण-पत्र;

5(क) प्रवर्तकों और मुख्य शेयरहोल्डरों का ब्यौरा;

6. कम्पनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की सूची;
7. निदेशकों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की सूची;
8. निदेशकों का अन्य कम्पनियों/संगठनों में प्रबंधन पदों का ब्यौरा और इन कम्पनियों/संगठनों का ब्यौरा;
9. आवदेक कम्पनी की आनुषंगिक कम्पनियों, नियंत्रक कम्पनियों और अंतर-संबंधित कम्पनियों की सूची;
10. धारा 1, 2 और 3 के अनुपालन का विवरण;

11. चरण-।। में भागीदारी करने के विकल्प (चरण-। के केवल ऐसे एलओआई/एलए धारियों लिये प्रासंगिक जिनके एलओआई/एलए रद्द किये गये थे) का उपयोग करने से संबंधित पत्र;

12. परिशिष्ट ख में यथा-निर्धारित प्रमाण-पत्र;

13. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

[कम्पनी की मोहर]

दिनांक :

परिशिष्ट-ख

प्रमाण-पत्र एवं वचनबद्धता

1. मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने चरण-।। एफएम रेडियो प्रसारण के रिक्त चैनलों की बोली लगाने की अनुमति प्राप्त करने की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है। मैं इसमें निर्धारित की गई सभी निबंधन और शर्तों का पूर्णत: अनुपालन करने का आश्वासन देता हूं।

2. मैं यह समझता हूं कि इस आवेदन को यदि यह किसी भी प्रकार से अपूर्ण पाया गया और/अथवा यह सशर्त अनुपालन वाला पाया गया अथवा इसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं लगाये गये, तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

3. मैं यह समझता हूं कि इस आवेदन अथवा अनुमति यदि मुझे प्रदान की गई, से संबंधित सभी मामले केवल दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

4. मैं यह समझता हूं कि यदि किसी भी समय पर की गई किसी घोषणा में कोई कमी अथवा अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रदान की गई किसी सूचना के असत्य पाये जाने, भ्रामक पाये जाने अथवा अवैध पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द कर

दिया जाएगा और इस आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया एलओआई/अनुमति को भी वित्तीय बोली राशि को जब्त करने सहित समाप्त कर दिया जाएगा।

5. मैं यह आश्वासन देता हूं कि मेरी कोई आनुषंगिक/नियंत्रक/अंतर-संबंधित कंपनी उस शहर के लिये वित्तीय बोली प्रस्तुत नहीं करेगी जिसके लिये मैंने वित्तीय बोली प्रस्तुत की है।

6. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि यदि मुझे अनुमति प्रदान की गई तो मैं अपने एफएम चैनल के नाम के रूप में अपनी कम्पनी और उत्पाद ब्राण्ड के नाम का उपयोग नहीं करूंगा।

7. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी कम्पनी निविदा दस्तावेज के खण्ड 2.2 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है।

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

[कम्पनी की मोहर]

दिनांक :

परिशिष्ट-ग

वित्तीय बोली के लिए आवेदन फार्म

(क्यूआईपी का लैटरहैड)

एफएम प्रसारण के रिक्त चैनलों, चरण-।। के लाइसेंस के लिए वित्तीय बोली

यह वित्तीय बोली ..... (''क्यूआईपी''), [ब्यौरा शामिल किया जाए] दिनांक ..... के निविदा दस्तावेज और बोली लगाने की प्रक्रिया की व्यापक और पूरी सूझ - बूझ के अनुसरण में क्यूआईपी ने एफएम रेडियो प्रसारण के लिए चरण-।। चैनल की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की है।

यह वित्तीय बोली निम्नलिखित के संबंध में है :-

1. एफएम एक का प्रसारण करने वालों को चरण-।। चैनल की अनुमति प्रदान करने के लिए।
2. यह बिना शर्त और अपरिवर्तनीय प्रस्ताव है जो वैध है और जो ऐसी किसी घटना पर ध्यान दिए बिना है जो इसके 180 दिन की अवधि के भीतर हो सकती है,

भारत सरकार द्वारा ..... से (वित्तीय बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा शामिल करे) ..... दिनों तक स्वीकार की जा सकती है।

3. भारत सरकार द्वारा क्यूआईपी को अनुमति प्रदान करने वाले करार को परिचालित करने और इसके द्वारा स्वीकार किए जाने पर और जो इस वित्तीय बोली के वैध रहने की पूरी अवधि में इसी आधार पर और इसी प्रकार स्वीकार की गई बनी रहेगी।

4. अभ्यावेदन, वारंटी और प्रसंविदाओं के आधार पर क्यूआईपी द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक सूचना इसकी तारीख को भी सत्य, सही और पूर्ण है।

5. क्यूआईपी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित।

एक एफएम प्रसारण चरण-।। चैनल लाइसेंस के लिए वित्तीय बोली

ब्यौरा	**बोली की राशि/एकमुश्त प्रवेश शुल्क**
..... के शहर में एक एफएम प्रसारण चरण-।। चैनल की अनुमति	रुपए (अंकों में) : ..... (शब्दों में) .....

6. अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा

7. क्या बोली की 50 प्रतिशत राशि के लिए पीबीजी-। संलग्न की गई है (हां/नहीं)

(मूल पीबीजी-I संलग्न करें)

8. बोली लगाने में सफल रहने पर क्या आवेदक अपने अनुरोध को पीबीजी-I के लिए प्रतीक्षा सूची में रखने के लिए विचार करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा बनाए रखने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करता है।

हस्ताक्षर :

नाम : स्थान :

प्राधिकृत प्रतिनिधि :

पदनाम :

के लिए तथा की ओर से

परिशिष्ट-घ

बैंक प्रतिभूति-। (पीबीजी-।) के निष्पादन के लिए फॉर्मेट

..... पर एफएम प्रसारण सेवा

भारत के राष्ट्रपति जो अवर सचिव (एफएम), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (संबंधित मंत्रालय) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए दिनांक 21.9.2005 ..... को एनआईटी के माध्यम अधिसूचित किए गए निविदा दस्तावेज में निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तों जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि क्यूआईपी इस मंत्रालय को वित्तीय बोली की 50 प्रतिशत राशि के बराबर राशि की प्रतिभूति जमा के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से प्रतिभूति उक्त निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन और निष्पादन के लिए प्रस्तुत करेगा, के आधार पर ..... में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा को स्थापित करने, बनाए रखने और प्रचालित करने के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के संबंध में ..... (नाम और पता) को "योग्य इच्छुक पक्षकार" (इसमें इसके बाद क्यूआईपी कहा गया है) घोषित किया गया है।

जबकि हम ..... बैंक (बैंक के नाम, पते और अन्य ब्यौरे का उल्लेख किया जाए), बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसमें इसके बाद "संबंधित बैंक" के रूप में उल्लेख किया गया है) के तहत गठित

किया गया कारपोरेट निकाय जिसका मुख्यालय ..... में और अन्य ..... पर शाखा कार्यालय है, एतद्द्वारा मंत्रालय को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त यह आश्वासन देते हैं कि योग्य इच्छुक पक्षकार मंत्रालय की संतुष्टि के लिए उक्त निविदा दस्तावेज के सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करेगा।

इसलिए अब हम संबंधित बैंक एतद्द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हमने यह प्रतिभूति दी है और हम योग्य इच्छुक पक्षकार की ओर से आपको प्रदान किए जाने वाले कुल ..... (प्रतिभूति की राशि) ..... (शब्दों में) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और हम आपको आपकी प्रथम लिखित मांग पर बिना किसी नुकता-चीनी, आपत्ति अथवा तर्क के उपर्युक्त उल्लिखित ..... रूपए (प्रतिभूति की राशि) की सीमा के भीतर निर्धारित कोई राशि अथवा राशियां तत्काल और इसमें निर्धारित की गई राशि के लिए आपकी मांग के संबंध में आपकी ओर से बिना कोई साक्ष्य दिए अथवा आधारों को बिना दर्शाए अथवा कारणों के संबंध में बिना पूछे भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम संबंधित बैंक एतद्द्वारा इस बात पर सहमत है कि मंत्रालय का योग्य इच्छुक पक्षकार के संबंध में यह निर्णय कि क्या योग्य इच्छुक पक्षकार उपर्युक्त उल्लिखित निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करने अथवा इन्हें निष्पादित करने में असफल हो गया है अथवा इनमें लापरवाही कर रहा है अथवा नहीं तथा इसके तहत बैंक द्वारा मंत्रालय को देय राशि बैंक पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी। मंत्रालय और उक्त आशय-पत्र धारी/अनुमति प्राप्त करने वाले

व्यक्ति के मध्य किसी विवाद का इस प्रतिभूति के तहत हमारे कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम एतद्द्वारा ऋण की मांग हमें प्रस्तुत करने से पहले योग्य इच्छुक पक्षकार से आपको उक्त ऋण की मांग करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं न कि केवल योग्य इच्छुक पक्षकार की प्रतिभूति।

इसके अतिरिक्त, हम इस बात से भी सहमत हैं कि इस निविदा की शर्तों अथवा इनके निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में किसी परिवर्तन अथवा वृद्धि अथवा किसी अन्य संशोधन से हम इस प्रतिभूति के तहत अपनी किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे और हम एतद्द्वारा इस प्रकार के किसी परिवर्तन, वृद्धि अथवा संशोधन इत्यादि के बारे में सूचना देने से छूट प्रदान करते हैं।

हम ..... बैंक एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम निम्नलिखित से सहमत हैं :

(क) *इसमें दिया गया आश्वासन वित्तीय बोली खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक पूर्णतः लागू तथा प्रभावी रहेगा।* यह आश्वासन इस वित्तीय बोली के द्वारा और तहत मंत्रालय की सभी देय राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने तक तथा इसके दावों का निपटारा किए जाने तक अथवा इन्हें पूरा किए जाने तक अथवा मंत्रालय द्वारा यह सूचित किए जाने तक कि उक्त इच्छुक पक्षकार ने उक्त निविदा के सभी निबंधन और शर्तों को पूरी तरह और

उपयुक्त रूप से पूरा किया है और तदनुसार इस आश्वासन को पूरा कर दिया गया है, तक जारी रहेगा।

(ख) मंत्रालय को इसके तहत हमारी सहमति के बिना और हमारे कर्तव्यों को किसी प्रकार से न निभाते हुए उक्त निविदा के किसी निबंधन और शर्त को परिवर्तित करने तथा समय-समय पर उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार के किसी कार्य के निष्पादन का समय बढ़ाने अथवा उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा प्रयोग की जाने योग्य किसी शक्ति को किसी समय तक अथवा समय-समय पर निलंबित करने और उक्त निविदा से संबंधित किसी निबंधन और शर्त को निलम्बित करने अथवा लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी तथा हम उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार को प्रदान की जा रही किसी घट-बढ़ अथवा विस्तार अथवा स्थगन कार्य अथवा योग्य इच्छुक पक्षकार की ओर से किसी चूक अथवा मंत्रालय द्वारा उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार को प्रदान की गई किसी रियायत अथवा उसे ऐसा कोई मामला अथवा वस्तु प्रदान करने जो प्रतिभूति से संबंधित कानून के तहत अन्यथा हमें इस प्रकार मुक्त करने के संबंध में इस प्रावधान को प्रभावित करेगी, को छोड़कर अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

(ग) ऐसा कोई दावा जो योग्य इच्छुक पक्षकार के विरुद्ध हमारे पास है, वह इसके तहत पूर्व भुगतान तथा हमारे सभी कर्तव्यों के पूर्णत: निष्पादन की शर्त के आधार पर इसके अधीन होगा और हम मंत्रालय की लिखित पूर्व-अनुमति के बिना इस प्रकार के किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में किसी विधिक अधिकार अथवा

उपचार का इतनी लम्बी अवधि तक प्रयोग नहीं करेंगे कि इसके तहत हमारे कर्तव्य अधूरे और शेष रह जाएं।

(घ) यह प्रतिभूति अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे कर्तव्य हमारे द्वारा अथवा योग्य इच्छुक पक्षकार द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ड.) बैंक मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना इस प्रतिभूति को बीच में ही रद्द नहीं करेगा।

अपने नियमों के तहत बैंक इस प्रतिभूति को शक्ति प्रदान करता है और श्री ..... जिन्होंने बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए हैं इस प्रतिभूति को निष्पादित करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हैं।

बैंक अथवा योग्य इच्छुक पक्षकार के नाम, नियमों अथवा पते में कोई परिवर्तन होने के कारण यह प्रतिभूति समाप्त अथवा प्रभावित नहीं होगी।

यह प्रतिभूति आज वित्तीय बोली को खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए और ..... द्वारा दायित्व में कमी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 28 दिनों तक वैध होगी।

प्रतिभूति देने वाले के हस्ताक्षर और मोहर .....

बैंक का नाम .....

पता .....

दिनांक .....

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

1. .....

(नाम और व्यवसाय)

2. .....

(नाम और व्यवसाय)

परिशिष्ट-ड.

सं. .....

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(एफएम प्रकोष्ठ), ए विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

संख्या .....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय : एफएम रेडियो प्रसारण सेवा (चरण-।।) को ..... में प्रचालित करने के लिए आशय-पत्र ("एलओआई")

महोदय,

आपको सफल बोलीदाता घोषित करने और आपके द्वारा वित्तीय बोली की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के परिणामस्वरूप मुझे आपको ..... में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा चरण-।। स्थापित करने और प्रदान करने के लिए यह आशय-पत्र (संक्षेप में एलओआई) जारी करने का निदेश दिया गया है।

2. इस आशय-पत्र का प्रयोजन और उद्देश्य सफल बोलीदाता के रूप में आपको इस निविदा दस्तावेज में यथा-विनिर्दिष्ट अनुमति प्रदान करने वाले करार (संक्षेप में जीओपीए) को सम्पन्न करने के लिए नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित पात्रता शर्तों का अनुपालन करने, फ्रीक्वेंसी आबंटन एसएसीएफए अनुमोदन, प्राप्त करने, वित्तीय जानकारी प्राप्त करने, जमीन/टावर पट्टा किराए, सामान्य प्रसारण अवसंरचना इत्यादि के लिए अपेक्षित राशि जमा करने और आरक्षित ओटीईएफ ("पीबीजी-।।") की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि के संबंध में भारत सरकार के पक्ष में अपरिवर्तनीय, बिना शर्त और निष्पादन की पुष्टि करने के लिए बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है।

3. आपका ध्यान निविदा दस्तावेज के खण्ड 2.10.6 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार जीओपीए को निष्पादित करने की शर्तों का अनुपालन करने अथवा निर्धारित अवधि के भीतर जीओपीए को अन्यथा निष्पादित करने में आपके असफल रहने पर यह आशय-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई राशि को बिना किसी और सूचना के जब्त कर लिया जाएगा।

4. कृपया इस आशय-पत्र को प्राप्त करने के संबंध में तत्काल पावती भेजें।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

परिशिष्ट-च

मैसर्स ....., एफएम अनुमति धारक के अंतिम लेखाओं का भाग बनाने के लिए सकल राजस्व का विवरण।

क्र.सं.	आय शीर्ष	प्रशुल्क दर/ दर सूची	छूट		एजेंसी का कमीशन	कर	लाभ एवं हानि लेखाओं के अनुसार निवल
			ट्रेड	अन्य			
(राशि रुपए लाख में)							
		क	ख	ग	घ	ड.	च
1.	विज्ञापन						
2.	प्रोत्साहन कार्यकलाप						
2.1.	संगीत/स्टार कार्यकलाप						
2.2.	प्रायोजित कार्यक्रम						
3.	विपणन अधिकार						

4.	कमीशन						
5.	रॉयल्टी						
6.	रिकार्डिड कैसेटों, सीडी इत्यादि का विक्रय						
7.	किराया-परिसर						
8.	किराया-उपस्कर						
9.	ब्याज/लाभांश						
10.	संबंधित पक्षकार लेनदेन						
10.1	विक्रय किया गया माल						

10.2	प्रदान की गई सेवाएं						
10.3	निर्माण						
10.4	विपणन						
10.5							
10.6							

<u>नोट :</u>

1. आय शीर्ष केवल संकेत और उद्धरण हैं और लेखा परीक्षक एफएम अनुमतिधारी के

सभी प्रासंगिक शीर्षों को शामिल करेंगे।

2. लेखा व्यवस्था मानक संख्या 18 के अनुसार संबंधित पक्षकारों से आय का अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ मिलान किया जाएगा।

3. यदि अपेक्षित है, तो परिशिष्ट-घ में अतिरिक्त कॉलम शुरू किये जाएं।

4. कॉलम च में लाभ व हानि लेखा के अनुसार कुल राजस्व दिया गया है। सकल राजस्व निर्धारित करने के लिये कॉलम के अनुसार कर, अभिकरण कमीशन जो लागू हो, को भी जोड़ा जाए।

सकल राजस्व (क) = ख + ग + घ + ड. + च

4 प्रतिशत की दर से वार्षिक शुल्क के लिये सकल राजस्व = [क-(ख+ग)] x 4%

परिशिष्ट-छ

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा निवल मूल्य का प्रमाण-पत्र देने के लिए फॉर्मेट

हमने ..... की माह-दिवस-वर्ष 2007 को समाप्त वित्त वर्ष/अवधि की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि दिनांक .....2007 की स्थिति के अनुसार आवेदक कम्पनी का "निवल मूल्य" ..... लाख रूपए (शब्दों में लाख रूपए) है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि आवेदक कम्पनी के निवल मूल्य की गणना इस प्रकार की गई है :

क्र.सं.	विवरण	राशि रुपए लाख में
1.	परिसम्पत्तियों का खाता मूल्य	
2.	काल्पनिक और अमूर्त परिसम्पत्तियों का खाता मूल्य	
3.	स्वामी की निधियों से भिन्न देनदारियाँ	
4.	निवल मूल्य {1-(2+3)}	

स्थान/दिनांक सांविधिक लेखा-परीक्षक

.....

नोट :

<u>निवल मूल्य</u>

किसी उद्यम की देनदारियों पर इसकी काल्पनिक और अमूर्त परिसम्पत्तियों से भिन्न परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य से अधिक। इसे निवल परिसम्पत्ति अथवा शेयरहोल्डर की निधियां भी कहा जाता है।

<u>परिसम्पत्तियों का खाता मूल्य</u>

ऐसी राशि जिसके आधार पर लेखा बहियों अथवा वित्तीय विवरण में किसी मद को शामिल किया जाता है। इसे किसी विशेष आधार जिस पर इंजीनियरी लागत, प्रतिस्थापन मूल्य इत्यादि निर्धारित किया जाता है, के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाता।

<u>काल्पनिक परिसम्पत्तियाँ</u>

किसी तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों के तहत ऐसी सामुहिक मदें जिनका वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता (अर्थात लाभ और हानि खाते का नामे शेष)।

<u>देनदारियाँ</u>

किसी उद्यम का स्वामी की निधियों से भिन्न वित्तीय कर्तव्य।